कुरुक्षेत्र

सितम्बर : 1977

मूल्य : 50 पैसे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ग्रामीण विकास

ऊर्जा के नए स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, बायोगेस, पवन और रासायनिक ऊर्जा के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समयबद्ध योजनाओं को तैयार करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । दूरसंवेदन अभिकरण की स्थापना के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाई गई हैं ताकि वह प्राकृतिक स्रोतों के सर्वेक्षण में दूर-संवेदन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सके । समुद्र विज्ञानों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसन्धान प्रयासों को समन्वित करने के लिए महासमुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिकरण (ओ० एस० टी० ए०) की स्थापना की गई है। प्रकाशीय, प्रकाश-इलैक्ट्रानिक और प्रकाश यांत्रिक यंत्रों पर विशेष बल देते हुए यंत्र विकास के कई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तकनीकी संस्थाओं और अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में बहु-विषयक अनुसन्धान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है। विभाग ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय गुणता के सुधार, जिसके अन्तर्गत ग्राम्य तथा नगरीय आवास और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है, के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ग्रामीण विकास

विभाग के कार्य में ग्राम विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को उच्च प्राथमिकता दी गई है। समन्वित विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 20 जिलों का पता लगाया गया है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण की सहायता से इन जिलों के बारे में एक समेकित संसाधन सूची तैयार करने का काम शुरू किया गया है। सूची से वनस्पति जात, प्राणि जात और स्थलाकृति की जानकारी मिल सकेगी।

इस विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सूचना पद्धति की स्थापना के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित योजना तैयार की है। विभाग डेटा बैंकों के विकास के लिए विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहा है।

विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को कम लागत के सौर सेलों, क्रमवीक्षण इलैक्ट्रानिक सूक्ष्मदर्शी तथा नाइट्रोजन, कार्बन तथा रंजक लेसर्स के डिजाइन और विकास का दायित्व सौंपा गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रमों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जा, कृषि, भारी इंजीनियरी और मशीनी औजारों, आवास, नगरीकरण और रचना प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधनों इत्यादि को शामिल किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए योजना में 767·64 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

विभाग ने अपनी सलाहकार समिति की सहायता से विकास की प्रक्रिया को बिना किसी प्रकार प्रभावित करते हुए, पर्यावरण की गुणता को महत्व प्रदान करते हुए कई अल्पावधि और दीर्घावधि प्रभाव वाली पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार किया था। इनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय उपलब्धि मानव आवासों के क्षेत्र में 'हैबीटाट' थी। इन परियोजनाओं का जो कि अन्तर-विषयक और बहु-संस्थानिक आधारों पर कार्यान्वित की जा रही हैं, जैसे-पारिस्थितिकीय परिवर्तनों, प्रदूषण को कम करने तथा पर्यावरणीय गुणता के अनुरक्षण आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अन्तराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए कोरिया गणराज्य तथा तुर्की के साथ कई करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। श्रीलंका, हंगरी, रुमानिया, मैक्सिको और बलगारिया के साथ सहयोग के नए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

भविष्य सम्बन्धी अनुसन्धान के क्षेत्र में अनुसन्धान दलों की स्थापना करके कार्य शुरू किया गया है। 1976-77 में भविष्य सम्बन्धी अनुसंधान ने काफी प्रगति की है। इसकी सिफारिशों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने पांच आई० आई० टी० संस्थाओं में तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सांईस, बंगलौर में भविष्य सम्बन्धी अध्ययन के लिए 6 केन्द्रों की स्थापना के निर्देश दिए हैं। ये 6 केन्द्र अन्तः दलों का गठन करेंगे और विद्यार्थियों के लिए और कुछ स्थितियों में स्थानीय उद्योग के लिए भी अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। ★

कुरुक्षेत्र

वर्ष 22 भाद्र 1899 अंक 11

इस अंक में — पृष्ठ संख्या

ग्रामीण स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के प्रति नवीन दृष्टिकोण 2
श्री राजनारायण
घूमने दो चक्र गति का (कविता) 4
डा० छैलबिहारी गुप्त
ग्रामीण विकास के लिए ऋण सुविधाएं 5
श्री आई० जे० नायडू
दूर-संचार और ग्रामीण विकास 7
श्री टी० वी० श्रीरंगन
गांधीजी का आर्थिक दृष्टिकोण 9
कन्हैयालाल गौड़
दहेज का दानव—एक परिचय 11
साधना गर्ग
कहीं आप विष तो नहीं पी रहे ? 13
जगदीश कौशिक
अस्पृश्यता: एक अभिशाप 15
श्री अशोक गर्ग
चाकरी अच्छी कि खेती 16
कु० अमिता सिंह
राष्ट्र-निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका 17
श्री धर्मचन्द जैन
लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन में 18 प्रतिशत की वृद्धि 19
दिन है बरसाती (कविता) 20
श्री सलीम अश्क
कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने की दिशा में नया कदम 21
महिला कल्याण और पोषाहार 23
सरला सिंह
खेती संबंधी कहावतें 25
श्री राधेश्याम गुप्त
केन्द्र के समाचार 28
साहित्य-समीक्षा 30
पांच पेड़ पांच बेटे 31
श्री बनवारी लाल ऊमर वैश्य

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, दिल्ली के पते पर करें।
दूरभाष : 382406
एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुपये

सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह
उपसम्पादक : पारसनाथ तिवारी
शशि चावला
आवरण पृष्ठ : आर० सारंगन

सम्पादकीय

खुशहाली के लिए मद्यनिषेध

हम यहां यह दुहराना नहीं चाहते कि मद्यपान से स्वास्थ्य क्षीण होता है, बुद्धि नष्ट होती है, चरित्र का पतन होता है और शराबी जहां अपनी घर गृहस्थी के लिए संकट का कारण बन जाता है वहां वह दूसरों के लिए भी दुःखदायी होता है। मद्यपान जैसी बुराइयों पर लिखने बैठा जाय तो पोथियों पर पोथियां तैयार की जा सकती हैं। पर हमें यहां यह अभीष्ट नहीं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मद्यनिषेध की दिशा में कदम उठाने की जो आवाजें सुनी जा रही हैं उन्हें जितना जल्दी कार्य-रूप में परणित किया जाए उतना ही अच्छा है।

आपको ज्ञात होगा कि अभी हाल में दिल्ली में शराब के सेवन से लगभग तीन दर्जन आदमी काल के कराल गाल में चले गए। इसी तरह देश के अनेक भागों में गत वर्ष में लगभग 500 व्यक्तियों को संसार से विदा लेनी पड़ी। क्या गुजरती होगी उनके बेचारे बाल बच्चों पर। यह सब हुआ अवैध शराब के सेवन से।

यदि सरकार मद्यनिषेध लागू करने की दिशा में कदम उठाती है तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि देश के अनेक भागों में जहां शराब बनाने की अवैध भट्टियां कायम हैं, उनका सख्ती से सफाया किया जाय और मद्यनिषेध लागू होने के बाद इसके अवैध व्यवसाय को बिलकुल न पनपने दिया जाए।

परन्तु मद्यपान एक ऐसी बुराई है जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद यदि फिर भी अवैध शराब के अड्डे गुपे-छिपे कायम रहते हैं तो हमारे समाज सेवकों का कर्तव्य है कि वे आगे आएं और समाज में मद्यपान की बुराइयों के प्रति जागरूकता पैदा करें। बिना जन सहयोग के यह भीषण बुराई दूर नहीं की जा सकती। यह खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री देसाई मद्यनिषेध लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं और वे इस सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित कदम उठाने वाले हैं। तामिलनाडु में तो पहले ही यह लागू हो चुका है और उत्तर प्रदेश भी अब उसका अनुसरण करने जा रहा है। हमारा ख्याल है कि अन्य राज्य भी पीछे नहीं रहेंगे और वे भी इस बुराई के उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अखिल भारतीय नशाबन्दी समिति की अध्यक्षा डा० सुशीला नायर भी इस दिशा में सक्रिय हैं और वे मुख्यमंत्रियों के आगे मद्यनिषेध का एक 12 सूत्री कार्यक्रम पेश करने जा रही हैं। सितम्बर में दिल्ली में इस सम्बन्ध में एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जा रहा है जिसका उद्‌घाटन स्वयं प्रधानमंत्री के हाथों होगा। इन प्रयासों के फलस्वरूप हमें यह आशा करनी चाहिए कि यदि निकट भविष्य में नहीं तो कालान्तर में इस बुराई से देश को अवश्य मुक्त किया जा सकेगा।

[शेष पृष्ठ 8 पर]

जनता के लिए समाहित स्वास्थ्य सेवायें

ग्रामीण स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के प्रति नवीन दृष्टिकोण

श्री राजनारायण

गत तीन दशकों में प्रगति के पांव आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे की ओर मुड़ चले थे। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को तोड़ा-मरोड़ा जाने लगा था। विभिन्न क्षेत्रों में जो भी प्रयास किए जा रहे थे वे निस्सार और मात्र एक तमाशा खड़ा करने के लिए किए जा रहे थे। सामूहिक विकास एक कपोल कल्पना बन गई थी। देश की सारी आयोजना असन्तुलित और अवास्तविक थी। 19 महीने की दुर्भाग्य पूर्ण आपात स्थिति हमारी मौलिक स्वतंत्रताओं पर किया गया एक बर्बर आक्रमण ही नहीं था बल्कि इससे भी भयंकर बात यह हो गई थी कि 'उपलब्धियों के दशक' के नाम की अफीम खिलाकर लोगों को एक व्यक्ति के आगे पीछे नाचने के लिए मजबूर करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा था। समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाकर और सरकारी जन-प्रचार साधनों का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग कर सारा सरकारी तंत्र जन-भावनाओं को कुचलने में लग गया था।

इससे जो अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो गई थी वह किसी से छिपी नहीं है। उसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं। पाप, अनाचार, छल-कपट की इस विषाक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर भी इसका अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। स्वातन्त्र्योत्तर काल में पहले वाले शासन की लकीर पर चल कर देश का ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित रह गया था क्योंकि इस निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए जो भी पूंजी लगाई गई वह उतनी नगण्य थी कि मुश्किल से ही उसका कोई प्रत्यक्ष परिणाम कहीं देखने को मिलेगा। परिवार नियोजन के नाम पर जो कुछ हुआ वह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि इन सब प्रयासों का उद्देश्य जनकल्याण न होकर आंकड़ों और लक्ष्यों का थोथा और चमत्कारिक अम्बार खड़ा करना था जिसने सामान्य लोगों के विवेक को कुण्ठित कर दिया था और उन्हें अपने इस काले जादू के बल पर मूक पशु जैसा बना दिया था।

भारत की जनता ने इस अनीति और तानाशाही के विरुद्ध जिस प्रकार एक होकर संघर्ष किया और स्वार्थी तत्वों के कुत्सित इरादों को जिस साहस के साथ चूर-चूर किया वह भारत के इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में अद्वितीय है और प्रजातांत्रिक जगत् में सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

विशाल जन समर्थन के बल पर बनी नई सरकार के सामने, राजनैतिक क्षेत्र में प्रजातान्त्रिक मूल्यों को फिर से प्रतिष्ठापित करने और समाज के सर्वाधिक सुपात्र वर्गों को प्राथमिकता देने का अत्यन्त दुष्कर कार्य खड़ा है। पिछले तीन दशकों का हमारा अनुभव यही कहता है कि गांधी जी ने जीवन के जिन मूल्यों का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया था आज सामाजिक जीवन में उनकी स्थापना के अलावा हमारी सामाजिक समस्याओं का दूसरा कोई हल नहीं है। पच्चीस वर्षों की हमारी आयोजना अपने लोगों को जीवन की छः मूलभूत आवश्यक वस्तुएं अर्थात् रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने का पानी तक जुटाने में नितान्त असमर्थ रही है।

हमने सबसे पहले जो कदम उठाया है वह है योजना के लक्ष्यों और उसमें निर्धारित की जाने वाली प्राथमिकताओं को आज की अपनी सामाजिक परि-स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल निर्धारित करने का। राष्ट्रपिता की समाधि पर ली गई शपथ तथा जनता पार्टी द्वारा अपनी घोषित नीति का पालन करते हुए हमारा एक महत्वपूर्ण काम यह था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के सभी ऐसे वर्गों के लिए जिनमें रोग फैलने की आशंका बनी रहती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान दें। इसके लिए हमें चिकित्सकों, कम्पाउण्डर, नर्स आदि जैसे सहायक कर्मचारियों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जिन्हें हमने जन स्वास्थ्य रक्षक नाम दिया है, एक संवर्ग (काडर) बना कर आम बीमारियों का सरल उपचार देश के हर नागरिक को सुलभ करने का प्रयत्न करना होगा। इस उपर्युक्त काडर में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा आदि भारतीय पद्धतियों के प्रशिक्षित

चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे।

अपनी इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए नई सरकार ने ग्रामवासियों के द्वार पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने की एक योजना तैयार की है। इस वर्ष 2 अक्तूबर को गांधी जयन्ती के अवसर पर इस योजना को शुरू में 777 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चलाया जाना है। इतने सारे वर्षों तक हमारे देश की अधिकांश जनता जिन स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों में रहती आ रही है, जब हम उनकी ओर देखते हैं तो इस योजना का महत्व और प्रारम्भ करने का समय विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है। दुर्भाग्य से जनता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए पिछले दिनों तक जो भी प्रयास किए गए हैं उनमें से अधिकांश समाज के उच्च वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए ही किए गए हैं। अब समाज में एक ऐसी चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग यह समझने लग जाएं कि वे अपने लिए स्वयं क्या कर सकते हैं।

ग्राम स्वास्थ्य सेवा योजना में 1,000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसे जन स्वास्थ्य रक्षक कहा जाएगा, की व्यवस्था करने की बात निहित है। यह जन स्वास्थ्य रक्षक पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। गांवों के लोग उसका चयन स्वयं करेंगे। अन्ततोगत्वा यह एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वहां का समाज 5.8 लाख जन स्वास्थ्य रक्षकों का चयन करेगा और सरकार उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देगी। वह जन स्वास्थ्य रक्षक उसी गांव का होगा जिसमें उसे अपना यह सेवा कार्य करना है। यह कार्यकर्त्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। उसका कार्य अपने गांव में जहां उसे काम करना है लोगों में सुन्दर स्वास्थ्य की परिकल्पना की परिपुष्ट करना और सरल किन्तु गुणकारी दवाइयों से जो उसे सरकार द्वारा दी जाएंगी साधारण बीमारियों का का उपचार करना होगा। जो कार्यकर्ता छांटे जाएंगे उन्हें 10-12 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें दवाइयों का एक एक किट और नियम पुस्तिका दे दी जाएगी। इस किट में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध सभी पद्धतियों की साधारण दवाइयों रहेंगीं और समय समय पर इसे भरा जाता रहेगा। किस पद्धति से उपचार किया जाएगा यह महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्व इस बात का है कि किन दशाओं में कौन पद्धति गुणकारी है।

समाहित स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत प्रसूति सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे देश में प्रसव कराने का काम अधिकांश परम्परागत दाइयां करती आ रही हैं। एक व्यापक कार्यक्रम के द्वारा इन दाइयों को भी समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस मामले में भी दाइयों के चयन और उन्हें प्रशिक्षण लेने के लिए समझाने का काम समाज ही करेगा। इस प्रशिक्षण का प्रबंध उनके घरों के नजदीक ही किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें एक किट दिया जाएगा जिसमें सुरक्षित प्रसव सम्मन्न कराने का छोटा मोटा जरुरी सामान रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान दाईयों को प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर हो जाने वाली शिकायतों का इलाज करना भी सिखाया जाएगा।

जहां जन सामान्य के स्तर पर यह कार्य जन स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा किया जाएगा वहां उप-केन्द्रों में इस कार्य के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी भी लगाए जाएंगे। बहुश्द्देयीय कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को इस प्रकार सुधारा और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि सभी एकोदेश्यीय कार्यकताओं को विषय परिचायक ज्ञान मिल सके तथा और अधिक महिला बहूद्देशीय कार्यकर्ताओं की सेवाएं सुलभ की जा सकें। हम चाहते हैं कि 1982-83 तक प्रत्येक 5,000 की आबादी के लिए एक ऐसे पुरुष और महिला कार्यकर्ता की सेवाएं सुलभ हो जाएं।

लोगों को एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध तथा योग्य और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के विधिवत प्रशिक्षित चिकित्सकों की सेवाओं का उत्तरोतर लाभ मिलता रहे इसके लिए सम्मिलित प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसा सोचा जा रहा है कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में स्नातक अथवा क्वालीफाइंग कोर्स करने वाले छात्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष तक काम करना अनिवार्य बना दिया जाए। ऐसा करने से ऐसे स्नातकों के लिए रोजगार ही नहीं बढ़ जाएंगे बल्कि ग्रामीण जनता को प्रशिक्षित चिकित्सकों की सेवाएं भी सुलभ हो जायेंगी और साथ ही चिकित्सा स्नातकों में नई सामाजिक चेतना भी आ जाएगी। दो वर्षों तक देहात में कार्य करने के पश्चात् ये डाक्टर अपनी आगे उन्नति के लिए अपना कोई भी मार्ग चुनने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

जब तक हम पिछली थोथी अवांछित मान्यताओं को समाप्त कर एक ऐसी पाठ्यचर्ता तैयार नहीं कर लेते जो विचार और विषय की दृष्टि से पूर्णतः भारतीय हो, तब तक यह आवश्यक है कि मेडिकल कालेजों को दर्शनीय ठाट-बाट से बाहर निकाला जाए और उन्हें ग्रामीण समाज के विशिष्ट अंगों के स्वास्थ्य की सम्पूर्ण देखभाल की जिम्मेवारी सौंपी जाए। अपने-इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर देश के आधुनिक चिकित्सा पद्वति वाले सभी मेडिकल कालेजों को यह कहा जाता है कि प्रत्येक कालेज तीन-तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाए। आरम्भ करने के लिए इस वर्ष 25 मेडिकल कालेजों को ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों में इस योजना को सीमित रूप में लागू किया जा सकता है।

जैसा कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति नए दृष्टिकोण के उपर्युक्त निरूपण से स्पष्ट होगा, छोटे परिवार के सिद्वान्त को कार्यरूप देने के काम को भी एक स्वैच्छिक कार्यक्रम के रुप में तेजी से चलाया जाएगा और यह कार्यक्रम उस व्यापक नीति का ही एक अंग होगा जिसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, जच्चा-बच्चा देखरेख, परिवार कल्याण और पोषण जैसे सभी विषयों का समावेश होगा।

सरकार परिवार कार्यक्रम के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और वह लोगों को अपने हित में, अपने बच्चों के हित में और देश के व्यापक हित में इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ेगी। हम परिवार कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता तो देते हैं लेकिन साथ-साथ यह बात भी दोहरा देते हैं कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार का दबाव या जोर जबरदस्ती हरगिज सहन नहीं की जाएगी। इसे पूर्णतः स्वैच्छिक रूप से चलाया जाएगा और गर्भ निरोध के किसी उपाय विशेष पर कोई अनुचित बल नहीं दिया जाएगा।

कुछ ही समय पहले परिवार कल्याण कार्यक्रम को काफी धक्का पहुंचा था। कारण सर्वविदित हैं। परिवार के अपने हित में इसके आकार को छोटा रखने की आवश्यकता को कौन नकार सकता है। इस कार्यक्रम पर लगे कलंक को हटाना होगा।

परिवार कल्याण के क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करने के काम को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों में उनके परिवार कल्याण विभागों का अपना जन शिक्षा और प्रचार तंत्र तो है ही, इसके अलावा सूचना और जन सम्पर्क विभागों और अन्य प्रचार साधनों से भी यह काम लिया जा रहा है।

परिवार कल्याण के प्रति दृष्टिकोण में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वह यह है कि यह परिवार के मन तक सीमित नहीं है। इसके अन्तर्गत परिवार कल्याण की, विशेषकर मां और बच्चे की स्वास्थ्य रक्षा और स्वास्थ्य वर्धन की सभी बातें आ जाती हैं। इस कार्यक्रम का परिवार नियोजन से परिवार कल्याण नाम का परिवर्तन ही इस बात का द्योतक है कि सरकार इसके माध्यम से परिवार और अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण समाज के समग्र कल्याण के लिए कितनी चिन्तित है। स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी हमारे कार्यक्रमों और नीतियों में परिवार कल्याण अब हर स्टेज पर उनका एक अभिन्न अंग बन चुका है। इस प्रकार गांव स्तर पर जो एक पुरुष और एक महिला कार्यकर्ता दिया जा रहा है वह परिवार कल्याण सम्बन्धी सेवा कार्य भी करेगा। इस कार्यक्रम पर उपरी दबाव का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता।

जनता की अपनी सरकार के रूप में नई सरकार के मूलभूत दृष्टिकोण को अक्षरशः अपनाते हुए हमने इस नई ग्राम स्वास्थ्य सेवा योजना और परिवार कल्याण कार्यक्रम पर आम लोगों के विचार आमन्त्रित किए। प्रसन्नता की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार कल्याण सेवाओं को एक साथ सुलभ करने की हमारी इस नई नीति को व्यापक जन समर्थन मिला है। फिर भी यत्र-तत्र से कुछ असहमति सूचक आवाजें भी उठी हैं। अनेक बार जन स्वास्थ्य रक्षक की तकनीकी और व्यावसायिक क्षमता पर अंगुली उठायी गई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस नई स्वास्थ्य सेवाओं का केन्द्र बिन्दु जन स्वास्थ रक्षक है। विभिन्न मंचों पर इस पर विचार किया जा रहा है और इसका उपयुक्त हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।

जब हम जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जनता के हाथों में ही दे रहे हैं तो इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात हो जाती है जन सहयोग। देखना यह है लोग सरकार के इस नये प्रयास में कितना सहयोग देते हैं, वे कितनी लगन और निष्ठा से इसे निभा पाते हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता ही इस पर निर्भर करती है। उद्देश्य महान हो और नीयत साफ हो तो अलंध्य कुछ नहीं। ★

घूमने दो चक्र गति का ★ डा० छैलबिहारी गुप्त

व्यर्थ मत सपने सजाओ
कल्पना के गीत गाओ
क्योंकि पीड़ा में सहज युग बोधहोता है
हर घुटन से सांस का नव शोध होता है।
ज्योति के भ्रम में न भूलो अन्ध की क्षमता
दौड़ता रथ मात्र रेखा में नहीं थमता
घूमने दो चक्र गति का
पन्थ खुलने दो प्रगति का
आस्था को तुम प्रसव की पीर सह लेने दो
आग्रहों से मुक्त जीवन आज बहने दो
तोड़ दो तुम रुढ़ियों के आज हर बन्धन
उस दृश्य की थाह लो उठता जहां क्रन्दन
खोल बन्धन मुक्त मन का
बोध होने दो कफन का
हर जलन के गर्भ में आंसू छिपा होता
हर तपन युग के नये इतिहास को ढोता
अब भरम की गांठ मत खोलो जमाने की
रात की खामोश बाहों में समाने को
ज्योति को तम में टटोलो
हर किरन के साथ हो लो
हर प्रभाती के अपरिचित कथ्य को तोलो
वेणु के स्वर में सहज गन्तव्य को खोलो।

—आनन्द भवन, माधव नगर,
उज्जैन (म० प्र०)

ग्रामीण विकास के लिए ऋण सुविधाएं

★ श्री आई० जे० नायडू
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय

भारत जैसे देश में जहां 70 प्रतिशत किसान छोटे और सीमान्त किसान — ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य देहातों के गरीब लोगों की आर्थिक और सामाजिक जिन्दगी में सुधार लाना है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अपनी जीविका कमाते हैं, उनमें से सबसे अधिक गरीब लोगों को विकास के लाभ पहुंचाने के लिए इसे सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। इन लोगों में छोटे और सीमान्त किसानों के अलावा पट्टे पर खेती करने वाले, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण कारीगर शामिल हैं।

ग्रामीण विकास के अन्तर्गत लगभग सभी पहलू आ जाते हैं जैसे कि खेती, डेरी, पशुपालन, मछलीपालन, रेशम कीटपालन, वन, ग्रामोद्योग आदि। साथ ही विपणन, परिवहन और विधायन का काम भी आ जाता है। इसका आखिरकार उद्देश्य देहातों में रहने वाले गरीब लोगों की आर्थिक हालत सुधारकर निर्धनता दूर करना और जहां कुछ खास मौसम में ही रोजगार प्राप्त होता है या आंशिक रोजगार मिलता है, वहां रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करना है। इतने बड़े पैमाने पर कार्य पूरा करने के लिए काफी मात्रा में तेजी से पूंजी सुलभ होने की आवश्यकता है। इसमें से अधिकांश पूंजी ऋण के रूप में ही मिल सकती है। ग्राम विकास का काम तेजी से बढ़ाने में संस्थागत ऋण व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे कृषि विकास की नई टेक्नोलोजी अपनाने में सहायता मिली है। सहकारी ऋण समितियों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। इन संस्थाओं के जरिए ग्रामीण परिवारों को 1950-51 में कुल का केवल 3 प्रतिशत मिलता था। अब इनकी मार्फत कुल का लगभग 35 प्रतिशत ऋण मिलता है। व्यावसायिक बैंक ऐसी दूसरी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जहां से इस काम के लिए ऋण मिल रहा है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, भूमि विकास बैंकों और व्यावसायिक बैंकों की छोटी सिंचाई योजनाओं, भूमि विकास, कृषि के मशीनीकरण, बागवानी, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन, डेरी विकास आदि के लिए काफी मात्रा में पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है।

ऋण देने वाली संस्थाओं की सफलता की कसौटी महज यह बात नहीं है कि उन्होंने कृषि विकास के लिए कितना ऋण दिया बल्कि यह बात भी है कि छोटे किसानों, ग्रामीण कारीगरों, कृषि मजदूरों और समाज के अन्य कमजोर लोगों तक पहुंचाने की चुनौती को स्वीकार करने की उनमें कितनी क्षमता है। नई टेक्नोलोजी का सबसे पहले लाभ मझोले दर्जे के और बड़ों किसानों ने उठाया क्योंकि उनके पास या तो अपने साधन थे या आवश्यक साधन जुटा सकते थे। अब वह समय आ गया है कि समाज के कमजोर लोगों को भी लाभ में उनका वाजिब हिस्सा मिले।

बहुधा ऐसा होता है कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग संस्थागत ऋण का प्रभावकारी उपयोग नहीं कर सकते और नई तकनीकी का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि अतीत में जो उन्होंने गैर-संस्थागत ऋण ले रखा था उसके बोझ से वे दबे रहते हैं। साथ ही गैर-उत्पादक कार्य के लिए काफी ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेने का अनुपात बहुत ऊंचा रहता है। छोटे किसान के लिए खाद, बीज आदि आवश्यकताएं पूरी करना तो जरूरी होता ही है पर ब्याह-शादी, मौत-जिन्दगी और अन्य समारोह आदि पर खर्च भी वास्तविक आवश्यकता है। अगर ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत इस तरह की जरूरतों के लिए कर्ज नहीं दिया जाता तो छोटे किसानों को मजबूर होकर अन्य जगहों से यानी साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। सौभाग्य से विभिन्न राज्य सरकारों ने ऋण राहत के कुछ कानून पास किए हैं और उपभोक्ता ऋण संबंधी विशेष दल की सिफारिशों के अनुसार संस्थागत ऋण एजेंसियों की मदद से ऋण संबंधी इस कमी को पूरा करने के उपाय किए हैं। इनसे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों की तकलीफें दूर करने में काफी मदद मिलेगी।

ऋण संबंधी नीति तैयार करने वालों का ध्यान ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों की ओर केवल इसलिए आकृष्ट नहीं होना चाहिए कि ऐसा करना परोपकार अथवा समाज सेवा का काम है बल्कि इस वजह से कि वे उत्पादकों का सबसे बड़ा समूह है और उनमें सर्वाधिक बेरोजगार लोग हैं और इसलिए भी कि इस वर्ग की लम्बे समय से जो उपेक्षा की गई है, उसकी पूर्ति आवश्यक है। अनुभव बताता है कि जहां भूमि कम है और मजदूर बहुलता में हैं, वहां उत्पादन अधिक होता है।

जहां तक वित्तीय संस्थाओं का सवाल है, केवल वित्तीय दृष्टि से समर्थ उत्पादक यूनिटों के लिए ही बैंक से दिए जाने वाले ऋण की व्यवस्था करना काफी नहीं है। परियोजना का मूल्यांकन करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या किसान अधिक पूंजी लगाकर और नई टेक्नोलोजी अपना कर अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ है। उत्पादन का ढंग बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसमें फसलों में विविधता लाना, अलग-अलग तरह की फसलें मिलाकर उगाना और डेरी, कुक्कुट पालन, सुअर पालन जैसे नए काम-धंधे अपनाना या पशुपालन का काम शुरू करना हो सकता है। इन सब बातों के लिए संस्थागत ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आधार स्तर पर समन्वित ऋण व सेवा व्यवस्था

की स्थापना है। इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि आयोग की कृषक-सेवा समितियों के संगठन के संबंध में सिफारिश महत्वपूर्ण है। कृषक सेवा समिति एक अनूठा प्रयोग है क्योंकि ये समितियां कृषि ग्राम विकास की भी पूरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं और छोटे व सीमान्त किसान तथा स्थानीय कारीगरों जैसे अपने सदस्यों के काम-काज की आवश्यकताएं पूरी कर सकती हैं। इस तरह की समिति सहकारी समिति के रूप में रजिस्टर्ड होती है और इसमें कृषक समाज के कमजोर वर्ग जैसे कि छोटे व सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगरों आदि को प्रबंध में महत्वपूर्ण हिस्सा मिलता है। कृषक सेवा समिति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने सदस्यों की ऋण संबंधी सभी आवश्यकता पूरा करेगी। इनमें दीर्घकालीन पूंजी निवेश ऋण, खाद, बीज, आदि की सप्लाई और सेवाएं सुलभ करने का कारोबार तथा अपने सदस्यों की पैदावार की बिक्री की व्यवस्था करना और डेरी, पशुपालन, रेशम कीट पालन आदि के लिए उत्पादन-सह-विपणन सहकारी समितियों से उचित सम्पर्क रखना भी शामिल है।

कृषक सेवा समितियों के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में बनाने के साथ ही परम्परागत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्गठन का राष्ट्रीय कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में शुरू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की प्राथमिक समितियों की संख्या, जो आजकल 1,40,000 है, से घटकर 80,000 रह जाएगी। हर संस्था के पास पूर्णकालिक और वेतन भोगी सेक्रेटरी होगा और कम से कम दो लाख रु० का कारोबार होगा। पुनर्गठित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से उम्मीद की जाती है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित सेवाएं सुलभ करेंगी, जैसे कि ऋण की व्यवस्था, खाद, बीज आदि का प्रबंध और आम जरूरतों की चीजों की सप्लाई। इसके साथ ही ये समितियां उपभोक्ता ऋण संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर हुए फैसले के अनुसार समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उपभोक्ता ऋण भी देंगी। आदिवासी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े आकार की बहूद्देश्यीय समितियां बनाई जा रही हैं, जो ऋण और विपणन सेवाएं देने और अवश्यक उपभोक्ता सामान की सप्लाई करने में समर्थ होंगी।

आधार-स्तर पर पुनर्गठन के अलावा मध्यवर्ती स्तर पर ऋण संस्थाओं को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की नीति कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने की है जिससे कि सहकारिता की दृष्टि से कमजोर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के आंतरिक साधनों को बढ़ाया जा सके और राज्यों में कृषि ऋण स्थायित्व कोष बनाया जा सके ताकि प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में अल्पकालिक ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों के रूप में परिवर्तित करने की सुविधा तथा केन्द्रीय मदद दी जा सके। यह बात बताती है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में ऋण सुलभ करने की दृष्टि से सहकारिता के ऋण संबंधी ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्सुक है।

इस प्रकार के सुझाव पर्याप्त नहीं है जबकि अन्ततः लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना है। यह अत्यावश्यक है कि सभी संबंधित व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से प्रतिबद्ध रहें। जहां तक सरकार और रिजर्व बैंक आफ इंडिया का सवाल है, उन्होंने सोच-समझ कर कुल ऋण का एक निश्चित भाग छोटे किसानों और समाज के कमजोर वर्ग के लिए अलग से रखने का निश्चिय किया है। 1974-75 में सहकारी समितियों द्वारा कार्यकारी पूंजी निवेश ऋण के रूप में जो कुल ऋण दिए गए, उनमें से 30 प्रतिशत अधिक ऋण कमजोर वर्ग के पास गए। व्यावसायिक बैंकों द्वारा अलग-अलग ब्याज लेने की नीति के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग के भी सबसे अधिक कमजोर लोगों को ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है। यह योजना निश्चित रूप से ग्रामोन्मुखी है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत दो तिहाई अग्रिम व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी ब्रांचों के जरिए दिया जाता है। इसके अलावा, इस योजना के अन्तर्गत कम से कम एक तिहाई अग्रिम अनुसूचितजातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पात्र व्यक्तियों को मिलता है। इसके अलावा, छोटे किसानों को आवश्यक सुविधाएं और संस्थागत ऋण तेजी से सुलभ करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी देती है। लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र कार्यक्रम, आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि भी मुख्य रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए हैं।

मांस और डेरी के लिए पशु धन तैयार करने के लिए छोटे किसानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह के किसानों को पशुधन तैयार करने के लिए जो ऋण मिलें वह चारे की फसलें उगाने, चारे का भंडार रखने, चरागाहों का विकास करने, दूध, मांस, हड्डी, चमड़ा जैसी चीजों की बिक्री की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऋण विशेषज्ञों और पशुधन विशेषज्ञों में बातचीत से इन कारणों का पता लगाया जा सकता है कि अब छोटे किसानों के लिए पशुधन विकास योजनाओं के लिए अच्छे पैमाने पर ऋण क्यों सुलभ नहीं हुआ है। एक अन्य क्षेत्र मछली पालन का है जिसमें भी कमजोर वर्ग की भलाई लिए काफीकी कुछ किया जा सकता है।

वित्तीय संस्थाओं की सफलता की कसौटी इस बात में है कि व्यक्तिगत कृषि अथवा संबंधित उद्यम को उचित अवधि में आत्मनिर्भर बनाने में कहां तक कामयाबी मिली है। ग्रामीण विकास का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में सीमित न रहकर दूर-दूर तक फैला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन और रोजगार के नए मार्ग खुलें, लोगों का आर्थिक उत्थान हो, उत्पादकता और रोजगार बढ़े और

[शेष पृष्ठ 29 पर]

गांधी जी का आर्थिक दृष्टिकोण

कन्हैयालाल गौड़

सुप्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री श्री मार्शल के शब्दों में दुनिया में न जाने कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनका अपर्याप्त भोजन, वस्त्र और आश्रय में लालन-पालन होता है, रोजी कमाने की आवश्यकत्ता के कारण जिनकी पढ़ाई लिखाई बीच में ही रुक जाती है, तो उसके पश्चात् लम्बे-लम्बे घंटों तक अपने निर्बल शरीर के बूते पर थका देने वाला काम करते रहते हैं और इसलिए उनको अपनी बौद्धिक शक्तियों के विकास के लिए समय ही नहीं मिलता। उनकी निर्धनता उनके लिए महान् दुर्भाग्य है। जब वे अच्छे भी होते हैं तब भी उनकी थकान पीड़ा के रूष में उपस्थित रहती है तथा उनकी खुशियां अल्प होती हैं और जब उनको रोग धर दवाता है तब गरीबी उनको दस गुना दुःख देने लगती है।

गांधीजी का अर्थशास्त्र इन्हीं गरीबों का अर्थशास्त्र है। इसी दलित मानवता का अर्थशास्त्र है। उनका अर्थशास्त्र एक दर्शन है जो नैतिक सिद्धांतों की विवेचना करता है। वह व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य को प्रधानता देता है, जिससे आदमी का सर्वांगीण विकास हो सके तथा विश्व कल्पना के पथ पर अग्रसर हो सके। ऐसा अर्थशास्त्र जो केवल धन की पूजा का प्रचार करता है तथा सबको निर्बलों का शोषण कर धन बटोरने में समर्थ बनाता है, उनके लिए एक झूठा और दुःखास्पद विज्ञान है। वह मृत्यु का द्योतक है। गांधी जी ने स्वयं कहा है, **"मैं अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के बीच कोई बहुंत भारी अंतर नहीं मानता। जिस अर्थशास्त्र द्वारा किसी व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण को क्षति पहुंचती हो, वह अनैतिक है और इसलिए कलुषित भी। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय का पोषक होता है, कमजोरों सहित** सभी के कल्याण में समान रूप से अभिवृद्धि करता है और सभ्य जीवन के लिए अपरिहार्य होता है।

आर्थिक समानता

गांधी जी ने जून 1947 में "हरिजन" में लिखा था—आज विश्व में घोर असमानता व्याप्त है। आर्थिक समानता समाजवाद की आधार शिला है। अन्यायोजित असमानता को वर्तमान स्थिति जिसके अन्तर्गत कुछ थोड़े से लोग तो धन वटोर रहे हैं और आम जनता को खाने भर को नहीं मिलता, भगवान के नियमों के विरूद्ध है।

गांधी जी इस अन्याय एवं शोषण को दूर करना चाहते थे। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि जिनके हाथों में राष्ट्र की सम्पत्ति का एक बड़ा हिस्सा एकत्रित हो गया है, वे नीचे उतरें और जो आधा पेट खाकर जीने वाले अधनंगे करोड़ों जन हैं वे ऊंचे उठें ताकि धनिकों और भूखों के बीच की खाई को पाटा जा सके।

गांधी जी ने कहा है मेरी कल्पना की आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि हर आदमी के पास एक समान ही धन हो। इसका अर्थ केबल मात्र यह प्रत्येक के पास उसकी आवश्यकताओं भर के लिए पर्याप्त हो। हाथी को चींटी के मुकाबले हजार गुना खाने की आवश्यकता है, पर वह कदापि असमानता का द्योतक नहीं है। अतः आर्थिक समानता का वास्तविक तात्पर्य है—प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार दूसरे शब्दों में प्रत्येक को सन्तुलित भोजन मिलना चाहिए, बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए तथा औषधि का उचित प्रबन्ध रहना चाहिए। यह मेरी आर्थिक समानता की धारणा है। मैं न्यूनतम आवश्यकताओं के परे की सब वस्तुओं को तिलान्जलि देनेकी बात नहीं कहता पर वे जब ठीक है जब गरीबों की जरूरतें पूरी हो जाएं पहली बात पहले आनी चाहिए।

गांधी जी ने सदा मानव की महत्ता और शारीरिक श्रम पर बल दिया। इसलिए जब उन्होंने मशीन द्वारा मनुष्य को घिरा हुआ पाया तो उन्होंने मशीन की बुराइयों के विरुद्ध आवाज लगाई। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि लाखों मनुष्यों ने अपने हाथों को हाथ के रूप में प्रयोग करना बन्द कर दिया है। अपनी भेंट को इस प्रकार नष्ट होते देख प्रकृति हम से भंयकर बदला ले रही है।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि गांधी जी मशीन का विनाश चाहते थे, अथवा उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। उनका ऊद्देश्य मशीन को खत्म करना नहीं बल्कि उस पर नियंत्रण रखना था। उन्हीं के शब्दों में—मैं मशीन का स्वागत करता हूं जो झोंपड़ियों में बसने वाले करोड़ों व्यक्तियों के भार तथा श्रम को हल्का करती हैं।

स्पष्ट है कि गांधी जी का मशीन विरोध मुख्यतः दो कारणों से था एक तो उसका पूंजीवादी स्वरूप और दूसरा उसका बेकारी से सम्बन्ध।

गांधी जी 'स्वदेशी' के प्रबल समर्थक थे। स्वदेशी का अर्थ है जीवन की आवश्यक वस्तुएं हिन्दुस्तान में निर्मित की जाए। इसलिए भारत में आयात किए गए कपड़े के प्रत्येक गज को भूख से तड़फते हुए गरीबों के मुंह से छीना हुआ टुकड़ा समझते थे। फलस्वरूप उन्होंने देश को खादी का महामंत्र दिया ताकि देश स्वावलम्बी तथा स्वाश्रयी वन सके।

भारत गांवों में बसता है, इसीलिए गांधी जी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था

को पुनर्जीवित कर गांवों को हमारे कार्यों का केन्द्र बनाना चाहते थे। उनकी यह मनोकामना थी कि प्रत्येक गांव में एक ऐसी सभा हो जिसके द्वारा सफाई, चिकित्सा, झगड़ों का निवटारा, ग्रामीण शिक्षा, कपड़े तथा सूत का उत्पादन, ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं अन्य वांछनीय कार्य सम्पन्न किए जासकें। दूसरे शब्दों में वे भारत के प्रत्येक गांव के स्ववालम्बी बनने के पक्षपाती थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतन्त्रताको नीचे से ही प्रारंभ करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक गांव को सर्वाधिकारप्राप्त गणतन्त्र या पंचायत होना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गांव को स्वावलम्बी होना होगा। अपना प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

असंख्य गांवों में बने हुए इस ढांचे की बनावट एक के ऊपर एक के ढंग पर बनी मीनारों के समान न होगी वरन् वह समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक फैलते हुए घेरों की किस्म की होगी। जीवन गगन चुम्बी अट्टालिकाओं के समान नहीं होगा जिसके ऊपर की मंजिल को नीचे के चौड़े पायों को संभालना पड़ेगा। यह ढांचा समुद्र में उठने वाली लहरों के घेरों के समान होगा जिसका केन्द्र वह व्यक्ति होगा जो सदा गांव के लिए मरने को तैयार रहेगा तथा यह क्रम इस प्रकार व्यापक होता रहेगा कि सम्पूर्ण जीवन व्यक्तियों से बना हुआ एक ऐसा समुदाय हो जाएगा जहां कुछ लोग महान्ध होकर किसी पर आक्रमण न कर सकेंगे, बल्कि सदैव विनम्र रहेंगे और सिन्धु के उस विशाल घेरे के गौरव को महसूस करेंगे जिसके वे अनिवार्य अंग हैं।

यदि भारत में कभी हर गांव में गणतन्त्र स्थापित होता है तो मैं चाहूंगा कि मेरे इस चित्र को यथार्थ किया जाए जिसमें अन्तिम सबसे पहले के बराबर होगा या दूसरे शब्दों में कोई भी पहला और कोई भी अन्तिम न होगा।

आज का युग घोर विषमताओं का युग है। एक ओर गगनस्पर्शी महल, दूसरी ओर झोंपड़ियां। एक ओर हंसते हुए विद्युत बल्ब, दूसरी ओर रोते हुए दीए। एक ओर सड़क की चौड़ी छाती पर दौड़ती हुए मोटर गाड़ियां, दूसरी ओर रेंगते हुए इन्सान। एक ओर तरह-तरह के व्यंजन, दूसरी तरफ दाने-दाने को मोहताज हो रहे हाड़-मांस के कुछ पिंड, चलती-फिरती कुछ लाशें। गाँधी जी की विचारधारा इसी विषमता को दूर करने का एक सबल माध्यम है तथा वह पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और अन्य विध्वंसकवादों के पाटों से पिसती हुई निरीह मानवता का उद्धार करने वाली भी है।

55, अंकपात मार्ग गली नं० 2
उज्जैन (म० प्र०)

फसलों की अदला-बदली और उर्वरकों का उपयोग

देश के कई विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों ने परीक्षणों द्वारा यह दिखाया है कि फसलों को सन्तुलित रूप से उर्वरकों की मात्रा देनी चाहिए। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जांच के दौरान यह पाया गया कि उन खेतों में जहां केवल नाइट्रोजन और पोटाशियम उर्वरक उपज को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया, वास्तव में हानिकारक सिद्ध हुए हैं और गेहूं के उत्पादन में कमी आई। 1971-72 में ऐसे खेतों में जहां गेहूं का उत्पादन 29·3 क्विटल प्रति हेक्टेयर हुआ था, वहां 1975-76 में उत्पादन गिरकर केवल 13·4 क्विटल प्रति हेक्टेयर रह गया। उन खेतों में जहां तीनों रासायनिक उर्वरक अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम प्रयुक्त किए गए, वहां गेहूं का उत्पादन 32·3 क्विटल प्रति हेक्टेयर था।

फसलें अपने पोषक तत्व भूमि से लेती हैं। इन तत्वों की पौष्टिकता फसलों और प्रति वर्ष बोई जाने वाली फसलों पर निर्भर करती है।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में परीक्षणों के दौरान यह पाया गया कि फास्फोरस उर्वरकों से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और फसलें भी अधिक मिलती हैं।

प्रमुख पौष्टिक तत्वों के अतिरिक्त अन्य पौष्टिक पदार्थ जैसे, जस्ता, तांबा, मैंगनीज भी फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होते हैं। परन्तु इन पौष्टिक पदार्थों की मात्रा बहुत कम प्रयोग की जानी चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने चार अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजनाएं शुरू की हैं जिनका सम्बन्ध फसलों को उचित मात्रा में उर्वरक देने से है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य फसलों की पोषक जरूरतों का पता लगाना, फसलों का बोना और उर्वरकों का फसलों के अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग करना है। ये परियोजनाएं हैं :

1. अखिल भारतीय समन्वित कृषि अनुसन्धान परियोजना जो देश के 45 केन्द्रों में शुरू की गई है। यह परियोजना कृषि प्रौद्योगिकी का पता लगाने और फसलों के उत्पादन में वृद्धि किए जाने का पता लगा रही है। साथ ही साथ विभिन्न फसलों के लिए उर्वरकों की जरूरत का पता लगा रही है।
2. अखिल भारतीय समन्वित परियोजना जो मिट्टी की जांच करने के लिए है, देश के 13 केन्द्रों में शुरू की गई है।
3. सूक्ष्म पोषक तत्व अनुसन्धान की समन्वित परियोजना जिससे मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्वों का विकास किया जा सके और इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का अध्ययन किया जा सके, देश के 9 केन्द्रों में शुरू की गई है।
4. अखिल भारतीय समन्वित परियोजना जो अधिक फसलों के लिए उर्वरकों के प्रयोग का मूल्यांकन और हानिकारक कीड़ों के प्रन्बध का बदलते हुए पर्यावरण में अध्ययन करती है, देश के ग्यारह केन्द्रों में शुरू की गई है। ✶

'दहेज का दानव'-एक परिचय ✶ साधना गर्ग

जब अचानक मुझे मीरा की हत्या का समाचार मिला तो विश्वास नहीं हो पाया। लेकिन यह सच था। उसके पिता द्वारा मीरा के विवाह के बाद की गई दहेज की मांगों को पूरा न करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। मेरे स्मृति पटल पर 5 वर्ष पहले का चित्र उभर आया जब हम दोनों एम० ए० (प्री०) में पढ़ती थीं। मीरा पढ़ने में तो अच्छी थी, देखने में भी बहुत सुन्दर। मैं हंसी में कह देती 'मीरा, अगर मैं लड़का होती तो तुझसे शादी करती।' उन्हीं दिनों मेरा सम्बन्ध तय हो गया था। मेरे ससुराल वालों की तरफ से कोई भी माँग नहीं थी। मीरा ने मुझसे कहा था, "साधना, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें अच्छा परिवार और प्रगतिशील दूल्हा मिल रहा है।" और मैंने हंसी में कहा था, "मीरा भगवान् के लिए तुम उनके सामने मत पड़ जाना। अगर उन्होंने कहीं तुम्हें देख लिया तो मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा।" बात मैंने मजाक में कही थी, लेकिन यह सच था कि मीरा को पत्नी बनाने वाला अपने आप में गर्व कर सकता था।

और फिर दो वर्ष बाद सुना कि मीरा का विवाह सुन्दर-योग्य इंजीनियर के साथ हो गया। मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने उसे बधाई भेजी और उसका जबाव मिला। मीरा खुश थी। अपने सुखद भविष्य के बारे में आश्वस्त थी। इसके बाद उसका कोई पत्र नहीं मिला। लेकिन अब यह......।

आए दिन न जाने कितनी 'मीराएं' इस तरह आत्माहुति दे डालती हैं या उनकी हत्या कर दी जाती हैं। विश्वास नहीं होता कि जो हाथ अपनी प्रियतमा के गले में माला डालते हों वे इस तरह क्रूर बनकर उसका जीवन लेते होंगे। क्या यह बिडम्बना नहीं कि हमारे इस सुसंस्कृत समाज में लड़की को जन्म से लेकर उसके विवाह और बाद तक समाज के रहमोकरम पर रहना पड़ता है। उसके जन्म पर यदि मातम नहीं मनाया जाता तो लड़कों के जन्म पर मनाए जाने वाली खुशियां उसे नहीं मिल पातीं। जब वह 'पराये' घर जाती है तो उसे अपने पति और सास-ससुर की कृपा पर रहना पड़ता है। लड़की मां बनती है और इसके बाद सास। लेकिन सास की स्थिति तक पहुंचते-पहुंचते इतनी कठोर हो जाती है कि वे अपने परिवार में 'पुत्री जन्म' को अभिशाप मानने लगती हैं। यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। 'जाहिर है कि दहेज प्रथा के कारण ही स्वयं स्त्री 'कन्या जन्म' को अच्छा नहीं मानती। इसी के कारण पिता की पारिवारिक "बैलेंस शीट" का दायित्व पक्ष भारी होता है, ऐसी मान्यता है।

हिन्दू शास्त्रों के अनुसार 'कन्यादान' को महायज्ञ की संज्ञा दी गई है। चूंकि कोई भी दान बिना 'दक्षिणा' के पूरा नहीं होता, इसलिए 'कन्यादान' के साथ दक्षिणा का भी प्रचलन हो गया। जब कन्या वर को समर्पित होती थी उसके साथ दक्षिणा दिया जाना अनिवार्य हो गया। सदियों के बाद हिन्दू धर्म के प्रवर्तक मनु ने कहा कि कन्या को विवाह के समय आभूषणों से सुसज्जित कर कुछ उपहारों के साथ वर को सौंपा जाना चाहिए। इन आभूषणों और उपहारों को 'स्त्रीधन' कहा गया। 'स्मृति' में 'स्त्रीधन' का अर्थ और विस्तृत हो गया जिसमें सम्पत्ति (चल) को भी सम्मिलित कर लिया गया जो लड़की के पिता द्वारा उसको विवाह के पूर्व, विवाह के समय और उसके पश्चात् दी जाती हो।

प्राचीन काल में 'वर दक्षिणा' या दहेज का रूप कुछ भी हो, उस समय कन्या को दी जाने वाली ऐच्छिक प्रेम-पूर्ण भेंट लड़की के मां-बाप के लिए समस्या नहीं थी। ये भेंट एक प्रकार से मां-बाप की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के स्थानापन्न के रूप में थी। दहेज का अभिशप्त रूप 19वीं सदी से प्रारम्भ होता है जब 'वर दक्षिणा' का रूप दहेज ने इस मात्रा में ले लिया कि अधिसंख्य लड़की के मां-बाप द्वारा उसे वहन करना सम्भव नहीं रहा और 'मोल भाव' विवाह की आवश्यक शर्त हो गई। लड़कियों को 'दायित्व' तथा लड़कों को 'सम्पत्ति' माना जाने लगा। इससे कोई भी जाति वर्ग और समुदाय प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका।

वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से दहेज में कई बातें सम्मिलित की जा सकती हैं—यथा, वर या उसे पिता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दी जाने वाली नकदी या सम्पत्ति, कन्या को दी जाने वाली भेंट (वस्त्र, आभूषण आदि) कन्या के पिता द्वारा किए जाने वाले अन्य व्यय (बारात का स्वागत, बारात यात्रा तथा विवाह के पश्चात् उत्सवों पर लड़की को दी जाने वाली अन्य भेंटें—जैसे त्रगन-गौर, तीज, वर अमावस्या आदि)। कहने का अर्थ यह है कि दहेज में मात्र विवाह के समय किया गया व्यय ही नहीं अपितु उसके पश्चात् किए जाने वाले अन्यान्य व्यय सम्मिलित हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति बहन नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप 'दहेज' का प्रबन्ध करने के लिए अनुचित तरीकों को अपनाया जाता है। बड़े-बड़े शहरों में दहेज का प्रबन्ध करने के लिए लड़कियां अपने शरीर को बेचती पाई गई हैं। दहेज के दानव के कारण अधिसंख्य व्यापारियों और नौकरी पेशे वालों के लिए 'नैतिकता' मात्र आदर्शवाद की बात रह गई है।

दहेज और कानून

दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित किया गया जिसका उद्देश्य दहेज के विरुद्ध कानून के हथियार मजबूत करना है। इस अधिनियम के अनुसार, "दहेज के अन्तर्गत कोई भी सम्पत्तिया बहुमूल्य वस्तु सम्मिलित है जिसको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विवाह के (1) एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को (2) किसी भी

पक्ष के मां- बाप द्वारा या किसी अन्य पक्ष द्वारा विवाह पक्ष से सम्बन्धित मां-बाप या किसी व्यक्ति को विवाह के समय, उसके पूर्व या उसके पश्चात् विवाह के प्रतिफल स्वरूप कथित पक्षों को दिया या लिया जाता है। इसमें उन व्यक्तियों का वह मेहर (Mehr) शामिल नहीं किया गया जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत सन्नियम लागू होता है।" अधिनियम के अनुसार, "विवाह के किसी भी पक्ष द्वारा नकदी, जेवर, वस्त्र या अन्य वस्तुओं का विवाह के समय भेंट के रूप में दिया जाना 'दहेज' में सम्मिलित नहीं है।" इससे यह स्पष्ट है कि अधिनियम पर्याप्त प्रपत्र नहीं है क्योंकि इसमें दहेज से बचने की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। 'भेंट' के रूप में 'दहेज' देना आम बात हो गई हैं।

फिलहाल भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारी द्वारा दहेज लेने व देने को अपराध घोषित कर दिया है। कई राज्यों में भी दहेज के सम्बन्ध में कुछ दण्डों की व्यवस्था कर दी गई है। पंजाब सरकार ने इस परम्परा को हतोत्साहित करने के लिए दहेज के सामान को नगरपालिका सीमा के बाहर ले जाने पर भारी चंगी की व्यवस्था कर दी है।

1. कालेधन का सुरक्षित निष्कासन :—दहेज को हम सामंतवादी—पूंजीवादी महन्तों की बुद्धि का अजूबाकरिश्मा कहें तो शायद अतिशयोक्ति न हो। कालेधन के इन स्वामियों ने दहेज प्रथा को वर्तमान रूप दिया है क्योंकि वे इस धन को सुरक्षित रूप से अन्यत्र प्रयोग नहीं कर सकते। वे यह भूल जाते हैं कि इसका विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अन्य वर्ग, जिनकी आय सीमित है, दहेज प्रथा से सर्वाधिक पीड़ित हैं।

2. दहेज—सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक :—यदि एक ओर कम दहेज पाने वाले परिवार को हेय दृष्टि से देखा जाता है तो अधिक दहेज पाने वाले को समाज में सम्मान मिलता है। विवाह योग्य लड़के का पद भी दहेज की मात्रा निर्धारित करता है—जैसे एक आई० ए० एस० विवाह योग्य लड़के का 'बाजार मूल्य' एक प्राध्यापक, डाक्टर, वकील आदि से अधिक होगा। ये सामन्त यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनका पुत्र सामान्य परिवार में ब्याहा जाय।

3. युवकों की उदासीनता :—वर्तमान दहेज विरोधी कार्यक्रम से शिक्षित युवक कुछ प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब भी ऐसे शिक्षित युवकों की कमी नहीं जो दहेज के बारे में कुछ भी विरोध प्रकट नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो इस बारे में कोई राय नहीं रखते। मध्यमवर्ग के अल्पशिक्षित व्यवसायी युवक दहेज को यदि अच्छा नहीं मानते तो उसे बुरा भी नहीं मानते।

4. 'दायित्वों' का 'सम्पत्ति' से संतुलन :- ऐसे परिवार जहां विवाह योग्य कन्याएं भी हैं, वे दहेज की 'भावुकता' के शिकार नहीं। उनका कहना है कि चूंकि उनके यहां लड़कियां भी हैं, इसलिए वे अपने लड़कों की शादियों में दहेज न मांगने की 'मूर्खता' नहीं करेंगे।

5. शिक्षा नौकरी आदि पर व्यय की पूर्ति :—दहेज को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में यह घटक भी महत्वपूर्ण रहा है। लड़कों की शिक्षा पर किए गए 'विनियोग' का प्रतिफल दहेज माना जाता है।

6. लड़कियों की आर्थिक निर्भरता :—देखने में आया है कि प्रचलित मान दण्डों के अनुसार अधिकांश मां-बाप अपनी लड़कियों को इतनी शिक्षा देना चाहते हैं कि जो विवाह की 'न्यूनतम आवश्यकता' को पूरा कर सकें। परिणामस्वरूप विवाह के बाद की गई दहेज की मांग पर लड़की की असहाय स्थिति हो जाती है।

इन कारणों से स्पष्ट है कि दहेज बहुत सी दोषपूर्ण सामाजिक मान्यताओं का दुष्परिणाम है। इन सभी पर समान रूप से आक्रमण करके ही इस कुप्रथा से मुक्त हुआ जा सकता है।

1. स्त्री शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया जाना परमावश्क है। इससे दहेज की मांग को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। विवाह के पश्चात् की गई दहेज की मांगों और उससे उत्पन्न घुटन और उमस भरे जीवन से उबारने के लिए स्त्री शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देना होगा।

2. अधिनियम में 'दहेज' तथा 'भेंट' के अन्तर को स्पष्ट नहीं किया गया। चूंकि अब लड़कियां भी समान रूप से मां-बाप की सम्पत्ति की अधिकारणी हैं, उन्हें विवाह के समय 'न्यायोचित' भेंट दी जा सकती है। फिर भी यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

3. अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जब तक दहेज के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की जाती उसे न्यायालय का विचार अधिकार नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त, कोई भी न्यायालय बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के विचाराधिकार में नहीं लेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि दहेज के सम्बन्ध में किसी तीसरे पक्ष (जिसके पास पर्याप्त समय और पैसा हो) द्वारा शिकायत की जानी चाहिए जो समाज सुधार में रुचि रखता हो। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की शर्त को भी समाप्त किया जाना चाहिए। उड़ीसा राज्य द्वारा सभी जिलाधीशों के निर्गमित निर्देशों के अनुसार दोषी व्यक्ति को एक वर्ष की कैद या 10,000 आर्थिक दण्ड अथवा दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है। इस प्रकार के निर्देश सम्बन्धित राज्य द्वारा अपने जिलाधीशों को निर्गमित किए जाने चाहिए।

4. अतिथि नियंत्रण आदेशों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। कभी-कभी अतिथि समूहों में होटलों तथा घरों में आमंत्रित किए जाते हैं। अतः इन आदेशों का पालन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता। दोषी व्यक्तियों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

5. नवयुवक और युवतियों की प्रगतिशीलता के बिना शताब्दियों पुरानी इस परम्परा को समाप्त नहीं किया जा सकता। मात्र भावुकताभरी प्रतिज्ञाएं लेने से शायद कुछ न हो। व्यावहारिक रूप से हमें सामने आकर ऐसे साहसिक कदम उठाने होंगे ताकि इस प्रथा को स्थायी रूप से निर्मूल किया जा सके। ●

किसी भी राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए उसके नागरिकों का स्वस्थ होना परमावश्यक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क रह सकते हैं। स्वास्थ्य के बिना मनुष्य कोई काम ठीक ढंग से कर सके, या सही सोच सके, ऐसा नितान्त असम्भव है, तब ही हमारे पूर्वजों ने कहा है कि, 'शरीर माद्यं खलु धर्म-साधनम्। शरीर के स्वस्थ होने का भाव यह नहीं कि शरीर मोटा ताजा हो, शरीर के स्वस्थ होने का भाव है शरीर का रोगरहित होना। भले ही वह देखने में दुवला हो। गांधीजी का शरीर कमजोर था, परन्तु स्वस्थ था, इसलिए उनका मन और मस्तिष्क दोनों ही हमेशा दृढ़ता से सही दिशा की ओर अग्रसर होते रहे। ऐसे और भी कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। परन्तु आज हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कहां राम, कृष्ण, हनुमान, भीम, अर्जुन, शिव, प्रताप? और कहां आज के कागजी पहलवान? आखिर ऐसा क्यों?

सदियों तक दासता की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण विदेशी शासकों के परिवेश और वातावरण के प्रभाव से जहां हमने उनकी अन्य अनेक प्रकार की बुराइयों को ग्रहण किया, वहां विशेष तौर पर नशीली वस्तुओं के प्रयोग को भी जीवन के लिए लाभकारी समझ कर अपना लिया। चाहिए तो यह था कि हम उन लोगों के गुणों को ग्रहण करते परन्तु हुआ इसके विपरीत और हम बुराइयों को गले लगा बैठे। स्वास्थ्य बर्द्धक पदार्थों के स्थान पर स्वास्थ्य नाश करने वाले पदार्थों का प्रयोग जोर-शोर से आरम्भ कर दिया। फलस्वरूप जहां स्वास्थ्य स्तर बुरी तरह गिर चुका है वहां हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी कहीं के नहीं रहे। प्रस्तुत लेख में हम 'शराब' के प्रयोग के दुष्परिणामों पर विचार करेंगे।

कहीं आप विष तो नहीं पी रहे? ★ जगदीश कौशिक

शर=शरारत, आब=पानी, अर्थात् शरारत से भरा पानी उर्दू फारसी का मिला जुला शब्द 'शराब' यथा नाम तथा गुण है। आम कहावत है कि शराब की एक घूंट शरीर के अन्दर गई नहीं, और विवेक और बुद्धि बाहर आये नहीं।' शराब के प्रयोग को आज सभ्यता का निशान माना जाता है, विवाह हो, सगाई, मुण्डन हो, गृह प्रवेश हो या किसी प्रकार की खुशी का कोई अन्य समय हो, उत्सव हो, जितनी देर तक उसमें शराब के दौर न चलें, उतनी देर तक उस उत्सव को सफल नहीं माना जाता। यह दूसरी बात है कि सोसाइटी और जेब की सामर्थ्य के अनुसार शराब का स्तर भी वैसा ही हो, कहीं व्हिस्की का प्रयोग होता है, कहीं रम का, यदि कहीं बीअर को स्थान दिया जाता है तो दूसरी ओर 'सड़ी ब्रांड (देशी) ठर्रे से ही काम चला लिया लिया जाता है। आज कल पण्डित और मुल्ला भी अपना ईमान खो बैठे हैं। आज के जीवन में शराब इतना घर कर बैठी है कि छोड़ने की इच्छा होते हुए भी नहीं छूट रही। शायद इसके प्रभाव के आगे अथियारडग्ल देने के कारण ही किसी ने इन शब्दों में अपनी मजबूरी प्रकट की हो, 'छुटती नहीं है काफर, मुंह से लगी हुई।'

शराब की तैयारी में गुड़ या खांड के शीरे का खमीर उठाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के कीटाणु उत्पन्न होकर उसके बीच में ही मर जाते हैं। कई बार शीरे के बर्तन खुले मुँह पड़े रहने के कारण उनमें कई प्रकार के जहरीले जीव जैसे चूहे, छिपकली आदि गिर कर मर जाते हैं, जिनका जहर उस शीरे में मिला रहता है। एल्कोहल, नाम का एक घातक पदार्थ तो शराब की तैयारी में विशेष स्थान रखता है और भी खून को उत्तेजित करने वाली अन्य कई प्रकार की मादक वस्तुएं भी मिलाई जाती हैं, जिनके प्रभाव के कारण शराब अंदर जाकर खून को उत्तेजित करती है, दिल और दिमाग पर एक नशा सा छा जाता है, मनुष्य अपने अन्दर एक शक्ति सी अनुभव करता है। वास्तव में यह शक्ति नही होती, खून की एक उत्तेजना मात्र होती है, शौक से बढ़ते बढ़ते शराब का प्रयोग एक स्थायी आदत बन जाता है, और वह आदत इतनी परिपक्व हो जाती है कि आदमी इसे छोड़ने में असमर्थ हो जाता है। शराब का नशा आदमी को कहीं का नहीं रहने देता। नशे में धुत आदमी की बुद्धि का दिवाला निकल जाता है और वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा कर लेता है, लड़ाई मोल ले लेता है, दूसरे की हत्या कर बैठता है। फलस्वरूप गाढ़े पसीने की कमाई मुकदमों की भेंट हो जाती है। कई बार मनुष्य को जेल की सजा भोगनी पड़ जाती है। धन का नाश होता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, समाज में अनादर होता है। तभी कहा है कि, 'शराब खाना खराब, विवाह शादी पर कई बार होने वाले झगड़ों का मूल कारण शराब ही होती है।'

कुछ लोग शराब की बुराई की बात पर चलने पर यह तर्क देते हैं कि यदि यह इतनी बुरी चीज है तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं करती, ठेके क्यों देती है? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि यदि लोग इसका प्रयोग न करें तो ठेकों पर बिक्री नहीं होगी और घाटा खाकर कोई ठेका लेने को तैयार नहीं होगा। धीरे धीरे शराब इस ढंग से अपनी मौत आप मर जाएगी, और खपत न होने के कारण ठेके और कारखाने स्वयं ही बंद हो जायेंगे। कुछ महापुरुषों के शराब संबंधी विचारों का यहां उल्लेख कर देना अनावश्यक नहीं रहेगा।

गांधीजी लिखते हैं कि शराब सांप के विष से भी अधिक हानिकारक है। शराबी आदमी का दिल और दिमाग तो विवेक शून्य होता है, साथ-साथ वह समाज में भी अपना आदर खो बैठता है। म० दयानन्द के शब्दों में शराब पीने वाले लोगों के

लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। गुरू वाणी और कुरान शरीफ में भी शराब को त्याज्य माना गया है। शराब के कुछ दुष्परिणाम भी देखिये। अमरीका में पिछले दस सालों में तलाक की ग्यारह लाख घटनायें घटी, जिनमें हर तीसरे तलाक का कारण मद्यपान था। अमरीका के ही डा० एण्डूसन ने शराब पीने वाले सौ लोगों का निरीक्षण किया। 37 आदमी दिमागी तौर पर नाकारा पाये गये, सात नीम पागल, सात मिरगी रोग से पीड़ित, 32 आदमी मानसिक तौर पर कमजोर और शेष 17 को फेफड़ों का कैंसर पाया गया। सन् 1952 में इंग्लैड में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया, कि साठ प्रतिशत औरतों को शराब पीने के कारण वेश्यावृति में आना पड़ा। पाकिस्तान में सन् 1973 में बनी नेशनल असेंबली में जिसके प्रधान श्री भुट्टो थे, सन् 1971 में भारत के साथ हुये युद्ध में पाकिस्तान की हार का कारण खोजने पर यह तथ्य सामने आया कि और कारणों के साथ-साथ पाकिस्तानी सैनिकों की शराब-जोशी भी एक विशेष कारण था।

जो जहर स्वास्थ्य को नष्ट करे, पैसे का नाश करे और सामाजिक तौर पर मनुष्य को अपने ही भाई-बन्धुओं की आंखों में गिराये और परिवारों के विनाश का कारण बने, उस जहर को गले का हार बनाये रखना कहां की बुद्धिमत्ता है ?

कुछ लोग यह कहते हैं कि आर्य लोग भी शराब का प्रयोग करते थे। पहली बात उनकी जानकारी के लिये बतानी यह आवश्यक है कि वे लोग शराब नहीं, 'सोमरस का प्रयोग करते थे। सोमरस भी शराब नहीं, वरन् ऐसी जड़ी-बूटियों का रस होता था, जिसके रस में शक्ति वर्द्धक तत्व होते थे। उसमें अल्कोहल आदि घातक पदार्थ नहीं होते थे। दूसरी बात, यदि यह मान भी लिया जाए कि सोमरस शराब ही होता था तो भी यह बात कहां तक उचित है कि हम किसी भी बुरी आदत को यह कह कर ग्रहण करें कि वह ऐसा ही करता था, तो हमें क्या डर है। बुराई तो बुराई है, बुद्धिमत्ता तो उस बुराई को छोड़ने में है, न कि उसे स्वीकारने में।

यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हर प्रकार से सुखी रहे और बापू के स्वप्न साकार हों, तो हमें शराब के प्रयोग से परहेज करना होगा। इससे जहां हमारा आर्थिक तौर पर पतन होगा, वहां हम नैतिक तौर पर भी कहीं के नहीं रहेंगे। ★

उर्वरक उत्पादन से विदेशी मुद्रा की बचत

देश में नाइट्रोजनीय और फास्फेटीय उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि होने से 1976-77 के दौरान 110 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इन दोनों उर्वरकों का उत्पादन कुल मिलाकर 23.80 लाख टन हुआ जबकि पिछले वर्ष के दौरान इनका कुल उत्पादन 18.55 लाख टन था।

वर्ष 1976-77 में नाइट्रोजन का उत्पादन 19 लाख टन रहा जबकि पिछले वर्ष यह 15.35 लाख टन था। दूसरे शब्दों में इसमें 23.7% की वृद्धि हुई। फास्फेटस का उत्पादन 1975-76 के 3.20 लाख टन की तुलना में 4.8 लाख टन रहा अर्थात पिछले वर्ष के उत्पादन में 50% की वृद्धि हुई।

फास्फेटीय उर्वरकों के उत्पादन में सुधार होना इस वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1975-76 की तुलना में फास्फेटीय उर्वरक के उत्पादन में इस वर्ष 1.6 लाख टन की वृद्धि हुई।

सिंगल सुपर फास्फेटस के उत्पादन में, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट आ रही थी, 1976-77 में न केवल सुधार हुआ बल्कि उसमें 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिंगल सुपर फास्फेट के संयत्रों में, जिनका आर्थिक समस्याओं आदि के कारण उत्पादन रोक दिया गया था, फिर उत्पादन शुरू किया गया।

नाईट्रोजनीय और फास्फटीय दोनों उर्वरक इकाइयों की क्षमता के उपयोग में काफी सुधार हुआ।

नाइट्रोजनीय के मामले में क्षमता उपयोग पिछले वर्ष के 61.9 प्रतिशत से बढ़कर 72.5 प्रतिशत हो गया और फास्फेट उत्पादन की क्षमता का उपयोग पिछले वर्ष के 50.6 प्रतिशत से बढ़कर चालू वर्ष में 69.4% प्रतिशत हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के शुरू में 20 बड़े उर्वरक संयंत्रों में, जिनकी उत्पादन क्षमता 25.09 लाख टन थी, उत्पादन हो रहा था।

सार्वजनिक क्षेत्र में नामरूप संयत्र का विस्तार कार्य पूरा होने, बरौनी, मद्रास फर्टिलाइजर विस्तार और कोचीन, द्वितीय चरण पूरा होने तथा निजी क्षेत्र में मंगलौर संयन्त्र में उत्पादन शुरू होने के फलस्वरूप वर्ष के दौरान नाइट्रोजन क्षमता में 30.28 लाख टन की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान फास्फेटीय क्षमता में एक लाख टन की वृद्धि हुई। 1975-76 के अन्त में फास्फेटीय उर्वरक उत्पादन क्षमता कुल मिलाकर 9.15 लाख टन रही।

वर्तमान चालू इकाइयों के अलावा 15 परियोजनाएं कार्यान्वियन के विभिन्न स्तरों पर थीं। इनमें से 12 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 सहकारिता क्षेत्र में और एक-एक निजी क्षेत्र में हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात् देश की नाइट्रोजन और फास्फेटीय उर्वरक उत्पादन की कुल निर्धारित क्षमता में क्रमशः 53.42 लाख टन और 13.11 लाख टन की वृद्धि होगी। ★

अस्पृश्यता : एक अभिशाप

श्री अशोक गर्ग

जुलाई 18, 1977 को आकाशवाणी भवन में शाम 4 बजे से 5 बजे तक एक प्रोग्राम रिकार्ड किया गया। 'रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम की जन साधारण से बातचीत' शीर्षक उपर्युक्त प्रोग्राम 25 जुलाई की रात 9-30 से 10 बजे तक प्रसारित किया गया। इसमें विभिन्न स्तर एवम् पद के व्यक्तियों के बहुत से प्रश्नों के उत्तर बाबू जगजीवन राम ने दिए।

अनेक प्रश्नों के मध्य एक प्रश्न यह भी था कि "हमारे देश में विशेषकर गांवों में जो छूआ-छूत की भावना पनपती जा रही है इससे कैसे छुटकारा मिले" ? बाबूजी का उत्तर था कि "यह प्रश्न मौलिक है, हमारे यहां हिन्दू धर्म चातुर्वण व्यवस्था पर आधारित है, अभी तक जो लोग जाति सूचक शब्दों को लगाना नहीं छोड़ना चाहते, एक हरिजन हैं जो अपने नाम के साथ कुछ नहीं लगाते, दूसरे ही लगा दिया करते हैं।" वास्तव में आज वैज्ञानिक युग में जहां गांवों ने बहुत प्रगति की है, अभी वे छुआ-छूत को लेकर बहुत पीछे हैं। इस सन्दर्भ में सिद्धान्त और व्यवहार में बहुत अन्तर है, संविधान में लिखित समानता का मौलिक अधिकार गाँवों में व्यावहारिक रूप नहीं नहीं ले पाया, आज भी गाँवों में हरिजनों व अन्य जातियों के पानी भरने के कुएं प्रथक्-प्रथक् हैं। इसी भावना के कारण अन्य जातियों के सदस्य हरिजन जातियों के सदस्यों के साथ खान-पान का सम्बन्ध नहीं रखते, यहां तक की सुख-दुख में भी न सम्मिलित होते हैं और न हमदर्दी रखते हैं। ये बहुत ही हीन और तुच्छ भावना है, समाज में एक बहुत भयंकर बीमारी है, इसके बने रहने का मुख्य कारण अशिक्षा और अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता है, एक अशिक्षित व्यक्ति अपने पूर्वजों के व्यवहार व जीवन दर्शन के आधार पर अपने आप को ढाल लेता है, शिक्षा के अभाव में उसकी प्रवृत्ति बदल नहीं पाती और जो शिक्षित हो जाते हैं उन्हें आर्थिक कारणों से नगरों में आना पड़ता है, जो एक-दो व्यक्ति गांव में रहकर इसे छोड़ना भी चाहें तो रूढ़िवादिता तथा वहां का सामाजिक प्रतिबन्ध उन्हें ऐसा नहीं करने देता, इसके साथ ही साथ एक कारण यह भी है कि इन जातियों के लोग आपस में भी छूआ-छात बरतते हैं तथा एक अनुसूचित जाति के सदस्य दूसरी अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ खान-पान तथा वैवाहिक सम्बन्ध बनाने को तैयार नहीं हैं। कश्मीर के एक पिछले मंत्री और हरिजन नेता भगत छज्जू राम ने बताया था कि हरिजनों में 'मेघा' जाति के व्यक्ति स्वयं को ब्राह्मण समझते हैं और अन्य हरिजनों का छुआ भोजन तक स्वीकार नहीं करते। उपर्युक्त स्थिति में हरिजन जब स्वयं छूआ-छात बरतते हैं तब देश को इस बुराई से कैसे दूर किया जा सकता है।

जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, शूद्र के घर जन्मा बालक भले ही कितना ही चरित्रवान, बुद्धिमान क्यों न हो वह शूद्र है, अछूत हैं, ग्रामीण समाज में अन्य जातियों के सदस्य उसे उपेक्षा व हीन दृष्टि से देखते हैं, दूसरी तरफ एक ब्राह्मण भले ही एक श्लोक का भी उच्चारण न कर सके, मद्यपान करे, जुआ खेले वह ब्राह्मण है, श्रद्धा का पात्र है। मात्र जन्म के कारण दोनों की सामाजिक स्थिति में महान् अन्तर आ गया। गांव का बनिया शूद्र महिला के सोने के कड़े गिरवी रख सकता है, वक्त बे वक्त उसकी पुत्री उन्हें पहन भी सकती है, उसकी कमाई का ब्याज भी वो ले सकता है, परंतु उसके साथ उठने बैठने में मान हानि समझता है। कितना बड़ा अन्याय है कि जो संगतराश मूर्ति गढ़ता है, पत्थर पर छैनी हथोड़ा चला कर भगवान राम व शिव का आकार देता है, महीनों कठोर परिश्रम करता है, वही मूर्ति मंदिर में स्थापित होने के बाद यदि वह अनुसूचित जाति का है तो उसके दर्शन का भी अधिकारी नहीं रहता।

यदि कोई भी व्यक्ति नैतिकता के आधार पर अपनी आत्मा से इस विषय में पूछे तो इस समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है। गांवों में पढ़े-लिखे व्यक्ति यदि अपने परिवार के अन्य सदस्यों तथा पड़ोसियों को समझाएं कि इनमें भी वही रक्त है जो हममें है, सभी की शरीर संरचना का एक ही आधार है फिर ये भेद-भाव क्यों ? आज जहां कृषक खेती के नये साधनों को अपना कर प्रसन्न हैं, चिकित्सा प्रणाली में भी झाड़-फूंक, मंत्र-तंत्र के स्थान पर नई चिकित्सा प्रणाली पर विश्वास रखता है, तो क्या कारण है कि वो इस भावना का त्याग न कर पाए। वास्तव में उसे इस विषय में समझाया ही नहीं जाता।

'महाभारत' में मांडव्य ऋषि का उल्लेख है जो हरिजन थे। उनकी कथा बताती है कि विद्या से हरिजन भी पूज्य है। संत कवियों ने भी इस विषय में बहुत योगदान दिया, भक्ति काल के संत कवि प्रायः निम्न जाति के थे। 'रैदास' एक महान् भक्त के रूप में आज भी पूज्य हैं। संत कबीर ने इस भेद-भाव को मिटाने का भरसक प्रयत्न किया ? आपने

लिखा—

"हिन्दू अपनी करै बराई
गागर कुअन न दे,
वेस्या के पावन तर सोवे
यह देखो हिन्दुआई ।"
जात-पाँत पूछे नहिं कोई,
हर को भजै सो हरि का होई।
एक बिन्दु से विस्व उपजना
कै बामन कै सूदा ।।"

ब्राह्मण और शूद्र सभी का जन्म एक प्रकार हुआ है। स्वामी रामानंद भी इस भावना के विरोधी थे। 'राम चरित मानस' एक साहित्यिक ग्रन्थ से अधिक धार्मिक ग्रन्थ के रूप में मान्य है, प्रायः हर हिन्दू इसकी कथा से परिचित है। जब इसमें साक्षात् भगवान राम भीलनी जाति की शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, केवट से गले मिल सकते हैं, वानरों से मित्रता कर सकते हैं तो क्या मनुष्य भगवान से भी बड़ा है? यही सब कुछ यदि ग्रामीणों को सुनाया जाए तो उनका सरल हृदय अवश्य परिवर्तित होगा। महात्मा गांधी ने इसे मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, संविधान के निर्माता डा० अम्बेडकर हरिजन थे जो आज सभी के श्रद्धा के पात्र हैं। आज अनुसूचित जाति के व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में पदाधिकारियों के रूप में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, यदि अन्य लोग इन्हें अवसर ही नहीं देंगे, सदैव इनके प्रति अवहेलना का भाव रखेंगे तो इसका इनके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये स्वयं में हीन भावना से ग्रसित हो जायेंगे। 'कबीर' के शब्दों में वास्तविकता यह है कि "यही वह धरती है जिसमें चौरासी लाख यौनि के प्राणियों का शरीर सड़ कर मिट्टी हो गया, एक ही पाट पर परम पिता परमेश्वर ने सबको बिठाया है फिर छूत कैसे रही ?

202-ए, तुराब नगर
गाजियाबाद

चाकरी अच्छी कि खेती ★ कु० अमिता सिंह

खतौली गांव के बंसी के पास 50 बीघा जमीन थी। उसके पड़ौसी मुखिया के पास भी उतनी ही जमीन थी। बंसी पुराने ढंग से खेती करता और मुखिया नये ढंग से। दोनों की खेती की पैदावार में जमीन आसमान का अन्तर। बंसी की खेती की पैदावार प्रति बीघा एक मन होती थी तो मुखिया की खेती की 8-10 मन। कारण यह कि मुखिया का लड़का हरि पढ़-लिखकर गांव आया था और नए ढंग से खेती कराता था। मुखिया के लड़के का करिश्मा देखकर बंसी ने अपने लड़के सोम को पढ़ाया लिखाया था पर सोम को शहर की हवा लग चुकी थी। उधर मां-बाप भी ब्याहे-ठाये को बैठाकर क्यों खिलाने-पिलाने लगे, कह दिया था, या तो खेती करो अथवा जहां चाहो जाओ, कमाओ खाओ। सोम ने सोचा—जब खेती ही करनी थी तो पढ़ने-लिखने का क्या अर्थ। जीतोड़ कोशिशों के बाद आगरे में एक कारखाने में उसे क्लर्की मिल गई। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कलम घिसनी पड़ती। तहेदिल से निष्ठा पूर्वक काम करता। फिर भी मालिक की फटकार खानी पड़ती। जो पैसा मिलता उससे घी, दूध खाना तो जहां-तहां रहा, रुखी-सूखी खाकर ही गुजर करनी पड़ती। मां-बाप के पैसे जब तक मिलते रहे, खूब-गुलछर्रे उड़ाए। सिनेमा की शौक पूरी की, शहर की चमक-दमक और रांग-रंग का खूब मजा लिया। परन्तु शादी होने के बाद बाप ने सोम की पत्नी को भी उसके साथ लगा दिया। पत्नी सोम से कहती कि आपने कहां मुझे इस नरक में डाल दिया। इस छोटी सी कोठरी में हर वक्त दम घुटता रहता है। अड़ोस-पड़ौस में पड़े गन्दगी के ढेर से हमेशा बदबू आती रहती है। घी दूध का तो कहना ही क्या जबकि साफ-स्वच्छ अन्न-पानी भी यहां उपलब्ध नहीं। गांव में दो-दो गाय-भैंसें खूंटे पर बंधी हैं, खूब दूध देती हैं। बड़े भाई मंगल के बाल-बच्चे खूब दूध-घी उड़ाते होंगे।

पत्नी की इन बातों को जब सोम सुनता और जब उसे कारखाने के मालिक की फटकारों की याद आती तो यही सोचता कि यदि बाप की बात मानी होती तो मुझे यह सब क्यों भुगतना पड़ता।

शहर के गन्दे हवा-पानी और खान-पान के कारण अब इस दम्पति का स्वास्थ्य भी क्षीण हो गया था। उधर बंसी को यह चिन्ता थी कि सोम और उसकी पत्नी शहर चले तो गए पर न जाने शहर में कैसे रहते होंगे। आखिर उससे न रहा गया और एक दिन उन्हें देखने के लिए उनके ठीये पर पहुंच ही गया। देखा कि हालत नाजुक है। पुत्र-वधू के लालिमा युक्त कपौल पीले हो चुके हैं और सोम भी फटेहाल है।

अब बाप के आगे सोम की भी निगाह नीची थी और उनके होस ठिकाने आ चुके थे। दोनों की दीन-हीन दशा को देख कर तरस आया, कहा, करली नौकरी चलो गांव की ओर। सोम भी भीगी बिल्ली की तरह बाप के आगे खड़ा था। मुख से आवाज नहीं निकल पा रही थी।

दूसरे दिन सोम कारखाने गए, मालिक से हिसाब-किताब किया और नौकरी छोड़कर गांव की ओर चल दिए।

ब्याहे-ठाये को बैठाकर तो कौन खिलाता है। अतः उन्हें खेती का सहारा लेना ही पड़ा। पर सोम भी कोरा निठल्ला नहीं था। उसमें निष्ठापूर्वक काम करने की भावना थी। दिलो-जान से खेती में लग गया। वह पढ़ा-लिखा तो था ही। नए ढंग से खेती की। खाद पानी की अच्छी व्यवस्था करायी। नये किस्म के बीज तथा कीटनाशकों का भी प्रयोग करने लगा और एक दिन ऐसा आया कि पैदावार में मुखिया से बाजी मार ले गया। घर माला-माल हो गया। दूध घी की नदियां बहने लगीं। देखा खेती का करिश्मा। ★

राष्ट्र-निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

धर्मचन्द जैन

पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य गांधीजी के 'राम राज्य' की परिकल्पना को साकार करना था। गांधीजी की यह दृढ़ मान्यता थी कि भारत की 'आत्मा' गांवों में निवास करती है और जब तक गांवों में रहने वाले 'दरिद्र नारायण' की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इस देश में सच्चे अर्थों में स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी। इसलिए गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण की विचारधारा पर बल दिया, सर्वोदयी विचारक आचार्य विनोबा भावे के अनुसार, 'स्वयं स्वराज्य' अथवा 'स्वशासन' शब्द में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की धारणा निहित है। इस सिद्धांत का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में प्रत्येक संभव सीमा तक किया जाना चाहिए। लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण की मान्यता है कि 'आर्थिक स्वतंत्रता की स्थापना के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। स्व० पंडित नेहरू ने भी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सहारा लेते हुए योजनाओं के माध्यम से देश को नई दिशा प्रदान की थी।

विचार-दर्शन

पंचायती राज व्यवस्था का विचार दर्शन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का तात्पर्य ऊपर के स्तर से जनता के नीचे के स्तरों तक सत्ता का हस्तान्तरण करना तथा स्वायत्तता के अधिकार प्रदान करना है। पंचायती राज व्यवस्था के विचार दर्शन को मोटे रूप में तीन स्वरूपों में विश्लेषित किया जा सकता है :—

1. जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू करना;
2. ग्रामीण जन-कल्याण से सम्बन्धित विकास कार्यों में जनता की निर्णय शक्ति को क्रियान्वित करना और
3. समतायुक्त और समृद्ध प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की परिकल्पना को साकार करना।

इस प्रकार से सामाजिक न्याय की प्राप्ति, आर्थिक पुनर्निर्माण और संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम् भूमिका है।

राष्ट्र निर्माण का यज्ञ

साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद् से मुक्ति तथा देश के विभाजन के बाद हमारे राजनेताओं और प्रशासकों पर 'देश के आर्थिक निर्माण और राजनीतिक स्थायित्व' का गुरुत्तर भार था। संविधान निर्माताओं ने देश के लिए लोकतांत्रिक-सामाजवादी संसदीय प्रणाली को अंगीकार किया और यह शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा अधिक आत्मसंयम की मांग करती है। देश का संसदीय लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, विषमताओं के उन्मूलन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, युवा-शक्ति के रचनात्मक उपयोग, देशी भाषाओं की पद-प्रतिष्ठा, बेकारी की समस्या का समाधान करने और रोजगार के नए अवसरों की उपलब्धि, अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को समाज में सम्मानजनक दर्जा उपलब्ध कराने, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने और भूमि सुधारों को लागू करने, हिंसा का तीव्र विरोध करने और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को साकार करने पर ही सफल और सुरक्षित रह सकता है।

कठिनाइयां

स्वाधीनता के 30 वर्षों में विभिन्न उतार-चढ़ाव और कठिनाइयों के बाद भी देश के संसदीय लोकतांत्रिक स्वरूप का कायम रहना, हमारी सबसे महान उपलब्धि है। मार्च, 1977 के आम चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र ही इस देश की नियति है और इस शासन पद्धति के माध्यम से ही राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन विकासशील राष्ट्रों के समान भारतीय लोकतंत्र को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वाधीनता के बाद भी सामाजिक अन्याय जातीयता, प्रादेशिकता, साम्प्रदायिकता, आर्थिक विषमता, राजनैतिक दल-बदल और अवसरवाद, प्रशासनिक लालफीताशाही और निरंकुशता, भ्रष्टाचार, प्रादेशिक असंतुलन और आदर्श नेतृत्व के अभाव जैसी चुनौतियां हमारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए जिसे अभी उन्नति और विकास की लम्बी दूरी तय करनी है, शीघ्रातिशीघ्र हल निकाल लेना भी वांछित है।

राष्ट्र-निर्माण में पंचायती राज की अत्यन्त प्रभावशाली भूमिका है। पंचायती राज संस्थाएं इस लोक कल्याणकारी भूमिका को तीन रूपों में साकार कर सकती है। प्रथम, व्यक्ति और समाज के उपबन्धों को सही आधार पर खड़ा करने का उपक्रम करना, द्वितीय स्वायत्तशासी क्षेत्र में लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को सिद्ध करना, और तृतीय सत्ता को सर्वसाधारण के हाथों में हस्तांतरित करना। लोक-कल्याण की भावना को क्रियान्वित कर, राष्ट्र-निर्माण में

उद्देश्य पूर्ण और सार्थक भूमिका के निर्वाह हेतु पंचायती राज संस्थाओं से निम्न बातों की अपेक्षा की जा सकती है :—

1. पंचायती राज के राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह स्वार्थ और सौदेबाजी की राजनीति से अलग रहे। इस नेतृत्व को त्याग, बलिदान, आत्मसंयम की भावना से संचालित होना चाहिए। आदर्श नेतृत्व ही पंचायती राज व्यवस्था में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, विषमताओं के उन्मूलन और शोषण की समाप्ति की दिशा में सफल हो सकता है। इस नेतृत्व में कथनी और करनी का भाव भी समाहित होना चाहिए। कथनी और करनी में समानता के बिना लोकतांत्रिक समाजवाद और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करना संभव नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था के नेतृत्व का यह भी दायित्व है कि यह नेतृत्व दलगत राजनीति से संचालित हो। दलगत राजनीति का कुप्रभाव सामुदायिक विकास और कार्यों की गति को अवरूद्ध करता है।

2. सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों के बीच सहयोग और समन्वय की भावना से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और जन-कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों में संघर्ष और तनाव की स्थिति में स्वार्थवादी राजनीति को बढ़ावा मिलता है। पंचायती राज के प्रशासनिक नेतृत्व का यह दायित्व है कि वह तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण होकर जनता को विकास कार्यों से परिचित कराएं और उन्हें उन योजनाओं के बारे में नवीनतम परिवर्तनों से परिचित कराएं।

3. पंचायती राज संस्थाएं अपने सीमित वित्तीय साधनों का सदुपयोग करके लोक-कल्याण के अनेक कार्यक्रम सम्पादित कर सकती है। लोक कल्याण की यह भावना ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक और कृषक बेरोजगारी का निवारण करके, ग्रामीण दस्तकारी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर, भूमि-सुधारों को तीव्रता के साथ क्रियान्वित कर, भूमिहीन लोगों को भूस्वामित्व प्रदान करके, दलित और अछूत वर्ग के उद्धार के लिए सवर्ण लोगों में मानसिक क्रांति का सूत्रपात कर और कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाकर, हरित क्रांति' की कल्पना को व्यावहारिक रूप में साकार किया जा सकता है। इन कल्याणकारी कार्यक्रमों की सफलता से लोगों में देश की जनतांत्रिक व्यवस्था में आस्था बढ़ेगी।

4. जन-उदासीनता ने ही भ्रष्टाचार और सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के संकट की भयावह समस्या उपस्थित की है। मगर समय रहते इस संक्रामक रोग पर काबू नहीं पाया गया तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप खोखला हो जाएगा। गांवों में व्याप्त अशिक्षा और अज्ञानता इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार किया जाए। तभी पंचायती राज के माध्यम से प्रौढ़-शिक्षा के कार्यक्रम को सजीव रूप से लागू किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा न केवल व्यक्ति के बहुमुखी विकास करने में समर्थ होगी, अपितु राष्ट्र का भी कल्याण करेगी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के कारण ग्रामीण क्षेत्र में 'वैचारिक क्रांति' का सूत्रपात होगा, भोले-भाले ग्रामीण जनों में जातीयता, साम्प्रदायिकता और संकुचित दृष्टिकोण का अन्त होगा और राष्ट्रीय वातावरण के निर्माण में सहायता मिलेगी। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जन-संवेदित नेतृत्व के प्रस्फुरण में भी सहायता मिलेगी।

5. राष्ट्र-निर्माण के भगीरथ प्रयत्नों में शासन व्यवस्था में जन-साझेदारी होना अत्यन्त आवश्यक है। जनता द्वारा सभी स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और उन निर्णयों को क्रियान्वित करने की क्षमता उत्पन्न करके ही शासन-तंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है। जनता के स्थानीय और राष्ट्रीय मामलों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने और तथ्यों को सोचने और समझने की योग्यता प्राप्त करने से सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की राजनीति का अविर्भाव होगा। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इस गहन उत्तरदायित्व का बड़ी ही सहजता और सुगमता से निर्वाह किया जा सकता है।

अन्त में निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाएं अगर अपनी जिम्मेदारियों का हृदय से निर्वाह करें तो राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में नगरीकरण तकनीकी और औद्योगीकरण की जटिल चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में महान् भूमिका अदा कर सकती हैं। ★

—**प्रवक्ता, राजनीति-विज्ञान, पोस्टग्रेज्युएट, एम० एस० जे० कालेज, भरतपुर (राज०)**

खोपम (मणिपुर) के बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र में महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करती हुई ।

लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन में 18 प्रतिशत की वृद्धि

यह अनुमान है कि आलोच्य वर्ष के दौरान लघु उद्योग के क्षेत्र में 70 अरब रुपए के मूल्य का उत्पादन हुआ । यह उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से लगभग 18% अधिक है । इसकी जानकारी उद्योग मंत्रालय की 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई ।

लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा हाल ही में पूरी की गई लघु उद्योगों की गणना के अनुसार प्रत्येक एक लाख रुपए के निवेश पर लघु उद्योग क्षेत्र 21 व्यक्तियों को रोज़गार देता है । अचल परिसम्पत्ति पर उत्पादन का अनुपात 3·22 था जबकि निवेश की प्रति इकाई के मूल्य में वृद्धि का औसत 1·06 रहा । गणना से यह भी स्पष्ट हुआ है कि लघु उद्योग क्षेत्र का कार्य बड़े उद्योग क्षेत्र की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर रहा । दिसम्बर 1975 में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या लगभग 2.62 लाख हो गई, जबकि पिछले वर्ष के अन्त तक यह संख्या 2.47 लाख थी ।

निर्यात

भारत के कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा जो 1971-72 में 9.6 प्रतिशत था अब बढ़कर 1974-75 में 16.6% हो गया । 1974-75 में 540.71 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया और परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 1972-73 के 19·5% से बढ़कर 1974-75 में 22·5% तक पहुंच गया । यह एक उल्लेखनीय वृद्धि है ।

तकनीकी सहायता

लघु उद्योग विकास संगठन ने 1975-76 में 1.12 लाख की तुलना में 1976-77 में 1·50 लाख उद्यमियों को तकनीकी मामलों पर परामर्श दिया । लघु उद्योग सेवा संस्थानों से सम्बद्ध कार्यशालाओं ने पिछले वर्ष (1975-76) 35000 की तुलना में 1976-77 में 45000 कार्य किए और पिछले वर्ष 40 की तुलना में 55 नमूने तैयार किए । इस वर्ष के दौरान लगभग 1 लाख उद्यमियों को आर्थिक जानकारी दी गई । पिछले वर्ष 5 78 लाख की तुलना में 1976-77 में सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों की कुल संख्या 6.78 लाख तक पहुंच गई ।

45000 लघु एककों को प्रबंध

परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं तथा कारखाने में कार्य के 20 विस्तृत अध्ययन किए गए। ऐसी सेवाएं अब 246 पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों की लघु उद्योग इकाइयां परामर्श सेवाएं निशुल्क प्राप्त कर सकती हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकी

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिए 10 उद्योगों जैसे मशीन, औजार, मोटर गाड़ी के उपकरण और सहायक सामान, ढलाई, घरेलू विद्युत् उपकरण, मोजे, बनियान आदि अनेक बुने कपड़े, साइकिल और उसके पुर्जे, हाथ के औजार, चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं, वैज्ञानिक उपकरण और स्टोरेज बैटरियों को चुना गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित 35 उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है। इसके अलावा, 10 उद्योगों को अगले वर्ष लागू करने के लिए 1976-77 के दौरान स्थिति रिपोर्ट करने के उद्देश्य से चुना गया है।

सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल लघु उद्योग इकाइयों द्वारा संभरण के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या बढ़ा कर 241 कर दी गई। लघु उद्योग इकाइयों द्वारा संभरण की गई वस्तुओं का मूल्य पिछले बर्ष 61 करोड़ रुपए तथा 1970-71 में 33 करोड़ रुपए की तुलना में 1975-76 में बढ़कर 71 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

आनुसंगिक इकाइयों की संख्या 1974-75 में 22760 से बढ़कर 1975-76 में 26, 115 तक पहुंच गई।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने पिछले वर्ष में 568 इकाइयों के लिए 9.93 करोड़ रुपए के मूल्य की मशीनरी की तुलना में 1975-76 के दौरान 402 लघु उद्योग इकाइयों की 10.82 करोड़ रुपए के मूल्य की मशीनें सप्लाई की। निगम द्वारा की गई सप्लाई में देशी और आयातित दोनों ही मशीनें शामिल हैं।

ग्रमीण उद्योग परियोजना

ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम 21 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों के 111 जिलों में चलाया जा रहा है। इनमें से 92 परियोजनाएं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में चलाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या मार्च 1676 में लगभग 70,600 से बढ़ कर इस वर्ष मार्च में 78, 600 तक पहुंच गई। पूंजी निवेश में लगभग 28 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इन परियोजनाओं ने रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या 3·22 लाख से बढ़ कर 3.76 लाख हो गई।

सहकारिता

सरकार द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप समितियों की संख्या और उनकी सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1951 से लेकर 1974 तक औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या 7101 से बढ़कर 47,813 हो गई और उनकी सदस्यता भी 7·66 लाख से बढ़कर 31.46 लाख तक पहुंच गई। जून 1974 के अन्त तक इन समितियों ने 13 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया। 1973-74 के दौरान इन समितियों में उत्पादन और बिक्री क्रमश: 332.05 और 300:02 करोड़ रुपए की थी जो कि दोनों में पिछले वर्ष के मुकाबले में 35% अधिक है। ★

दिन है बरसाती ★ सलीम अश्क

सौंधी गंध उड़ी माटी की, दिन है बरसाती।
ज्यों-ज्यों पड़ी फुआर फूलती धरती की छाती।
नव जीवन संदेश सुनाते बादल नभचारी
कर्म-कलाप हुये हलधर के मान से आभारी
झरझर झरती बूंद अन्न के ज्यों झरते दाने
मिलते हैं वरदान मेघ से सबको मनमाने
खिले कपासी फूल चन्द्रिका धरती पर आती
चूनर हरियाली ओढ़ मेदनी दुल्हन सी दीखी
अंसुओं ने दृग खेल सरसता स्वभाविक सींची
क्यारी है सम्पन्न बांह में बांध लिया पानी
वितरित करती कोष अनोखे धरती वरदानी
पुरवैया की छेड़, फसल को छेड़ छेड़ जाती
तालों का उत्थान चेतना भरभरकर लाया
कल-कल नदी निनाद, सदेशा हिमगिरि का आया
लहरा उठी मल्हार, झुलाती अमाराई झूले
यौवन उठे उमंग, चमेली डाल-डाल फूले
विरहन मन को पीर आंच सी सुलग-सुलग जाती
छाये छप्पर-छान समय की बौछारें झेलें
हारे थके किसान शरण पल दो पल झेले लें
गाती हैं चौपाल, छन्द आल्हा के मदमाते
शान्ति, वीर, श्रृंगार सभी रस मन पर छहराते
इनको रखें सहेज सभी ये संस्कृति की थाती।
सोंधी गन्ध उड़ी माटी की दिन है बरसाती

कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने की दिशा में नया कदम

भारत की 40 प्रतिशत से भी अधिक जनता गरीबी की रेखा से भी नीचे रहती है। उनकी अवस्था को सुधारने का काम सरकार और योजनकारों के लिए एक चुनौती है।

सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों और दूसरे अन्य कमजोर वर्गों को बहुत से अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भूमि सीमा कानून लागू करने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा प्राप्त की गई भूमि इन लोगों में बांटी जा रही है।

यद्यपि भारत को इस क्षेत्र में अभी लम्बा रास्ता तय करना है फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक इन लोगों को काफी लाभ और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनसे लोगों की हालत अवश्य ही सुधरेगी।

भारत में दरिद्रता एक गूढ़ समस्या है जिसका समाधान करना बहुत कठिन कार्य है। दरिद्र लोग अत्यधिक कठिनाइयों से ग्रस्त हैं। उनका सदियों से शोषण होता रहा है और घृणा की दृष्टि से देखा जाता रहा है। उनको सामान्य नागरिकों के स्तर तक लाने के लिए धीरे-धीरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस दिशा में काफी कार्य हो चुका है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। संविधान के 46वें अनुच्छेद में कहा गया है :

"राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के लोगों की, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

1960 में गांव के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई। इसने सिफारिश की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को कृषि श्रमिकों, छोटी जोत के किसानों, कारीगरों, छोटे दस्तकारों, महिलाओं, खानाबदोशों और जीवन-यापन साधनों से विहीन लोगों के समान ही कमजोर वर्गों को समझा जाना चाहिए। इस तरह असंख्य लोग कमजोर वर्ग में आ जाते हैं। दल ने कहा कि इसको सीमित करने तथा अधिक अच्छा प्रबन्ध करने के लिए कमजोर वर्गों में उन लोगों की सहायता दी जानी चाहिए जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1000 रु० से कम है लेकिन सहायता देने में प्राथमिकता उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 500 रु० से कम है। अन्त में उन लोगों की जिनकी वार्षिक आय 250 रु० से कम है उन्हें बेसहारा समझा जाना चाहिए।

विमुक्त जातियां

विमुक्त जातियों के वर्ग में वे समूह आते हैं जिन्हें पहले अपराधी जातियां कहा जाता था। कुल मिलाकर 155 जातियों को अपराधी जातियां घोषित किया गया है। इसकी जनसंख्या लगभग 60 लाख है। ये जातियां आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पाई जाती हैं। युवा और शिक्षित वर्ग ने जो सरकारी नौकरी में या अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं, सुधार के सशक्त साधनों का निर्माण किया है। केन्द्र के तत्वावधान में चलाए गए कार्यक्रमों में 4.14 करोड़ रु० विमुक्त जातियों के स्थापन पर खर्च किए गए हैं। बच्चों को उनके गन्दे वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए आश्रम, स्कूलों की स्थापना की गई है। इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और आवास सुविधा, तथा कपड़े आदि दिए जाते हैं। इन समुदायों के लोगों के लिए अनेक बस्तियां बसाई गई हैं। इन्हें खेती के लिए भूमि और विशेषकर इनके लिए चलाई गई फैक्टरियों में रोजगार प्रदान किया गया है। अनेक राज्यों में विमुक्त जातियों को बसाने की योजनाएं शुरू कर दी गई हैं।

खानाबदोश लोग

भारत में खानाबदोशों और अर्ध-खानाबदोशों की कई प्रकार की जातियां रहती हैं। पहले खानाबदोशों का यह विचार था कि स्थान-स्थान पर घूमने से उनके व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों में अधिक लाभ होता है। अब खानाबदोशों का इधर-उधर घूमने का प्रचलन समाप्त होगया है। सरकार ने इनको एक स्थान पर बसाने में सफलता प्राप्त कर ली है। खानाबदोशों के छोटे-छोटे गुट कुछ शहरी, अर्ध-शहरी और कृषि क्षेत्रों में बसा दिए गए हैं।

भूमि का हस्तान्तरण

आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लोग बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों के मामले में उनका राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग-थलग रहना ही उनकी उन्नति में बाधक रहा है। अनुसूचित जातियों की समस्याएं उनके द्वारा सहन की जा रही सामाजिक अयोग्यताओं से ही जानी जा सकती हैं।

देखा गया है कि लम्बे समय से आदिवासी लोगों की जमीनें गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरित की जाती हैं। इसको रोका जा रहा है। आदिवासियों

की जमीनों के हस्तान्तरण करने से पहले उपायुक्त की पूर्वआनुमति लेनी आवश्यक है। बिहार, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश में हस्तांतारित भूमि आदिवासियों को पुन: बहाल करने के लिए 12 से 30 साल तक के मामले फिर से उठाये जा सकते हैं। शराब निर्माताओं द्वारा किए जा रहे शोषण का अन्त करने के लिए यह फैसला किया गया है कि आदिवासियों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शराब की बिक्री समाप्त की जानी चाहिए। आदिवासियों को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयोग के लिए और न बिक्री के लिए अपने परम्परागत पेय तैयार करने की अनुमति दी जाएगी।

शिक्षा

अनुसूचित जातियों में साक्षरता का प्रतिशत 1931 के 1.90 से बढ़ाकर 1971 में 14.71 हो गया है। अनुसूचित जन-जातियों में यह प्रतिशत 1931 के 0.70 से बढ़कर 1971 में 11.29 हो गया। सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक कार्य-क्रम के अन्तर्गत इन जातियों में साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के विशेष प्रयत्न कर रही है। इनके लिए मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियों और बालिकाओं के लिए छात्रा-वासों का विशेष प्रबन्ध है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने अनुसूचित जाति/जनजाति के 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए 100 प्रतिशत तथा 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 50 प्रतिशत का 1978-79 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इन बच्चों को आश्रम स्कूल और छात्रावासों की सुविधाओं के साथ-साथ छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। इन बच्चों में दोपहर का भोजन, पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा वर्दियां भी वितरित की जाती हैं। करीब-करीब सभी राज्य सरकारी और केन्द्रीय शासित संघ प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति जातिजन के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ताकि उनके साधनहीन अभि-भावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित महसूस करें। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को आदेश दिए हैं कि सभी प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाएं।

कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित जन-जाति समुदायों के विकास में सहायता करने के लिए सामान्य बुनियादी विकास संबंधी योजनाएं तैयार की गई हैं।

भूमि वितरण

अनुसूचित जातियों की सहायतार्थ विकास निगम स्थापित किए गए हैं। हदबंदी कानून लागू होने से सरकार को प्राप्त भूमि, परती भूमि, भूदान भूमि तथा ग्राम सभा भूमि वरीयता के आधार पर अनुसूचित जातियों में आबंटित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों की नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं। उनको पूर्ण-परीक्षा और सेवा में प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

बन्धुआ मजदूरी

संविधान के 23वें अनुच्छेद के अधीन बन्धुआ मजदूरी वर्जित है तथापि यह कुछ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में जारी रही। संसद में एक कानून पास किया गया जिसके अन्तर्गत बन्धुआ मजदूरी, ऋण को चुकाने के लिए बन्धुआ मजदूरी के दायित्व को समाप्त करने तथा ऋण वसूल करने के लिए मुकदमा न कर सकने की व्यवस्था है। बन्धुआ मजदूरों की गिरवी रखी हुई समस्त सम्पत्ति मुक्त हो गई है।

छोटे किसान

समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और अतिरिक्त आय के साधन जुटाने के लिए चौथी योजनावधि के दौरान कृषक विकास एजेंसी और सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास एजेंसी की योजनाएं तैयार की गई थी। ये कार्यक्रम चुने हुए 87 क्षेत्रों में लागू किए गए थे। सहायक व्यवसायों में डेरी, मुर्गीपालन, सुअर, भेड़, बकरी और मछलीपालन आदि शामिल हैं। पांचवी योजना में परियोज-नाओं की संख्या बढ़ाकर 160 कर दी गई है और इस योजना पर 200 करोड़ रु० खर्च किए जाएंगे।

विकास की सीमा अनन्त है। योजना और औद्योगिक क्रान्ति ये दो ऐसे आधार हैं जो अधिकांश लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। भारत विकास के जिन चरणों में से अब गुजर रहा है, अन्य राष्ट्र इन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। वे सफल रहे हैं और भारत भी सफल रहेगा। ★

महिला कल्याण और पोषाहार ★ सरला सिंह

विगत एक शती में महिलाओं की स्थिति में यद्यपि बहुत परिवर्तन हुए हैं तथापि आज भी महिला शक्ति के विकास में बड़ा काम करना है। गांधी जी ने कहा था कि क्षेत्र चाहे व्यक्तिगत हो चाहे राष्ट्रगत, साधन शुद्धि को अपनाकर स्त्री मानव जाति के विकास में पूरा हाथ बंटाकर अपने मन की हीनभावना को निःशेष कर डालेगी और समाज में उसे उचित स्थान प्राप्त हो जाएगा। इतना होने पर भी स्वतंत्रता के तीन दशकों के बाद भी महिलाओं का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं की सर्व प्रमुख समस्या समुचित पोषाहार की है। भारत एक निर्धन देश है और पोषक आहार की दृष्टि से इस दिशा में बहुत कुछ करना है। मध्य प्रदेश के 60 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी के नीचे के स्तर पर हैं। सन् 1968-69 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति माह आय केवल 20 रुपये थी। यह गरीबी का सामान्य स्तर था और 60 प्रतिशत जनसंख्या इससे भी अधिक गरीब है। ऐसी स्थिति में महिलाओं और बच्चों को उचित पोषण आहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

किसी भी राज्य की प्रगति उसके जन-स्वास्थ्य पर निर्भर करती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में पोषण आहार केन्द्र स्थापित कर गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 वर्ष क आयु तक के शिशुओं को पौष्टिक आहार देने की योजना कार्यान्वित की है। वर्तमान में 11 नगरों में कुल 514 केन्द्र कार्यरत हैं और इनसे करीब एक लाख महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। समान्यतः प्रति महिला को प्रतिदिन 500 केलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन तथा बच्चे को 200-300 कलोरी और 10-22 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। यह योजना भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रायपुर, बिलासपुर, सागर, रीवा, खण्डवा और रतलाम में शुरू की गई है और उसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

परिवार कल्याण परियोजना

राज्य सरकार ने महिलाओं के हित में जो अन्य योजना कार्यान्वित की हैं वह परिवार तथा बाल कल्याण से संबंधित हैं। विशेष पोषण आहार कार्यक्रम को भी अब इसी एकीकृत बाल विकास योजना में शामिल कर लिया गया है। एकीकृत बाल विकास योजना के मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं।

पहला उद्देश्य बच्चों के एकीकृत समाज कल्याण से संबंधित है। इसके तहत बच्चों को पोषण, रोग प्रतिबंधक व्यवस्था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और समुचित मनोरंजन की व्यवस्था करना है, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माताओं को प्रशिक्षित करना योजना का दूसरा अंग है। योजना का तीसरा पहलू परिवार और बाल कल्याण के लिए स्थानीय सभी सेवाओं का समन्वय करना है।

इसके लिए विकास मुख्यालय पर एक मुख्य केन्द्र तथा पांच गांवों में एक-एक उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य केन्द्र में बाल सेविका, बाल सहायिका, गृह सेविका तथा उपकेन्द्र में एक बाल सेविका तथा एक सहायिका होती हैं। ये कर्मचारी बालवाड़ी, पोषण आहार कार्यक्रम, वच्चों के मनोरंजन, महिला मण्डल आदि के कार्यक्रम संचालित करते हैं। सेविकाएं घर-घर जाकर शिशुओं के प्रतिपालन के बारे में महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य में वर्तमान में इस प्रकार की 32 परियोजनाओं के अंतर्गत 192 केन्द्र हैं और इन पर 16 लाख रु० सलाना व्यय किया जाता है। इन योजनाओं का संचालन समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है।

केवल पोषक आहार की व्यवस्था से बच्चों का समुचित विकास नहीं हो सकता। इसीलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्ग की महिलओं और बच्चों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था के लिए एकीकृत बाल विकास योजना बनाई गई है। योजना के प्रथम चरण में 2800 महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच और पूरक पोषक खाद्य की व्यवस्था तथा 20 हजार महिलाओं को पोषण संबंधी शिक्षा देना है।

योजना के दूसरे चरण में 6800 बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार, 17 हजार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व रोग प्रतिबंधक व्यवस्था तथा 4 हजार बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना है।

पांचवी योजनावधि में 1000 बाल विकास सेवा परियोजनाएं सारे देश में प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इसके तहत मध्यप्रदेश के पिछड़े आदिवासी क्षेत्र सिंगरौली विकास खण्ड (सीधी) और टोकापाल विकास खण्ड (बस्तर) में ये परियोजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं।

निराश्रित महिलाएं

समाज में एक प्रमुख समस्या निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास की है। निराश्रित परित्यक्ता तथा अन्य आर्थिक व सामाजिक कारणों से भटकी हुई महिलाओं को जीवन-यापन के साधन जुटाना समाज और सरकार का प्रमुख दायित्व है। सरकार ने निराश्रित महिलाओं के लिए जबलपुर, उज्जैन, रायपुर और आदिवासी जिला बस्तर के दंतेवाड़ा में निराश्रित महिला गृह स्थापित किए हैं, जहाँ 150 महिलाओं के रहने की व्यवस्था है। इन निराश्रित महिला गृहों में प्रतिपालन, शिक्षा और प्रशिक्षण

के साथ ही उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। ग्वालियर में महिला अनुरक्षण गृह, महिला उद्धार गृह तथा बैरागढ़ (भोपाल) में विस्थापित गृह स्थापित किए गए हैं।

निराश्रित महिला गृहों में 16 से 45 वर्ष की महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। इसके साथ उनके 7 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को भी उनके साथ रखा जाता है। महिला अनुरक्षण गृह, ग्वालियर में अनाथालय, अस्पतालों आदि संस्थाओं से मुक्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार महिला उद्धार गृह, ग्वालियर में अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम के अंतर्गत वेश्यालयों तथा अनैतिक व्यापार अड्डों से छुड़ाई गई महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षण, प्रतिपालन और पुनर्वास की व्यवस्था है। फिलहाल महिला अनुरक्षण गृह में 35 तथा उद्धार गृह में 50 महिलओं के रहने के व्यवस्था है।

बैरागढ़ में स्थित विस्थापित गृह में, जो पश्चिम पाकिस्तान से आई बेसहारा महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया था, सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें करीब 50 महिलाएं सिलाई सीखती हैं।

सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र

महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से अत्यन्त लोकप्रिय हुए हैं। इन केन्द्रों से सैकड़ों महिलाओं ने सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर परिवार की आमदनी बढ़ाने में सफलता अर्जित की हैं। समाज सेवा संचालनालय द्वारा छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शहडोल, सीहोर, भोपाल तथा पचमढी मे सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां प्रति वर्ष 300 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

सरकार अशासकीय महिला कल्याण संस्थाओं को भी सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए अनुदान देती है। राज्य में करीब 80 अशासकीय संस्थाएं इस तरह के अनुदान से लाभान्वित हो रही हैं।

आवास व्यवस्था

बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के रहने की जटिल समस्या होती जा रही है। परिवार से अलग होकर काम करने वाली महिलाओं को कम भाड़े पर सुरक्षित आवास की व्यवस्था की दृष्टि से जबलपुर और इंदौर में बसतिगृह की स्थापना की है जहां प्रत्येक में 25 महिलाएं रह सकती हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग ने पांचवीं योजना में 2 लाख या इससे अधिक आबादी वाले नगरों में अशासकीय समाज सेवी संस्थाओं को अनुमोदित व्यय की 60 प्रतिशत राशि का अनुदान देकर वसति गृहों के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इसके तहत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन तथा भोपाल में 7 वसति गृहों के निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त भी हो चुका है। दुर्ग—भिलाई तथा रायपुर में भी वसतिगृह निर्माण की योजना विचाराधीन है।

महिला कल्याण कार्यों को गतिशील बनाने के लिए अशासकीय संस्थाओं को शासकीय सहयोग से दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करने की आवश्यता है। राज्य में ऐसे महिला संगठनों की कमी नहीं है जो शहर और देहात दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा, बालवाड़ी, हस्तकला प्रशिक्षण, परिवार कल्याण तथा परिवार नियोजन का कार्य आगे बढ़ा है।

भारतीय ग्रामीण महिला संघ की मध्य प्रदेश शाखा की 18 जिला स्तरीय तथा 250 ग्राम स्तरीय शाखाओं ने संक्षिप्त पाठ्यक्रम, साक्षरता कक्षाएं, बालवाड़ी के क्षेत्र में उल्लेख योग्य कार्य किया है। इस संस्था को 12 हजार रु० वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

महिला कल्याण कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने जिला विकास खण्ड तथा ग्राम स्तर पर महिला मण्डलों की योजना कार्यान्वित की है. अभी तक 20 जिलों में महिला मण्डलों की स्थापना हो चुकी है। इस योजना के तहत जिला स्तर पर किसी उपयुक्त अशासकीय संस्था को मान्यता दी जाती है। ऐसी संस्था न होने पर नई संस्था गठित करने की पहल होती है। जिला स्तरीय संस्था को मान्यता और अनुदान इस शर्त पर दिया जाता है कि वह विकास खण्ड और ग्राम स्तर पर महिला मण्डल स्थापित करेगी। सरकार द्वारा जिला विकास खण्ड तथा ग्राम स्तरीय संस्थाओं को क्रमश: 2 हजार रु०, 1 हजार रु० तथा 500 रु० अधिकतम अनुदान दिया जाता है, जो संस्था के व्यय का दो तिहाई है।

महिला कल्याण कार्यों के क्षेत्र में बहुत काम करना शेष है और इनकी सफलता के लिए महिला संगठनों और समाज सेविकाओं को पहल करनी चाहिए।

8/14 चार इमली हिल्स
टी. टी. नगर, भोपाल

एक देश, एक राष्ट्र

वे मिल कर काम करते हैं

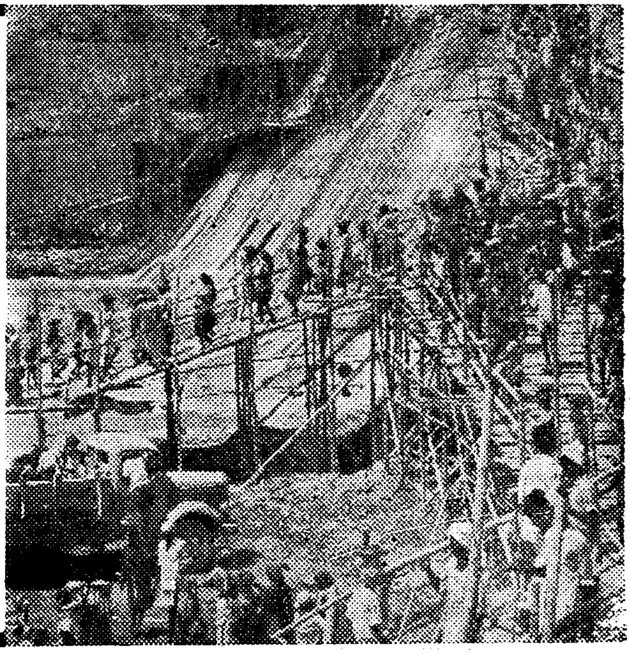

निर्माण के लिए . . .

छज्जू अपनी औरत और पुत्र के साथ पुल पर काम करता है । उसके साथ कुछ और लोग भी काम करते हैं—साथी मजदूर, ओवरसियर, ठेकेदार, ट्रक ड्राइवर और दूसरे अन्य लोग ।

ये लोग देश के विभिन्न राज्यों से आये हैं । कुछ राजस्थान, कुछ हरियाणा, कुछ बंगाल और एक आन्ध्र प्रदेश से आया है । वे घर पर अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं । लेकिन काम के समय वे एक ही भाषा बोलते हैं—निर्माण की भाषा ।

काम सभी बंधनों से मुक्त है ।

बंधनें आलसियों के दिमाग की उपज है । बंधनों को समाप्त कीजिए ।

केन्द्र के समाचार

प्रशिक्षण के लिए 'वर्कशाप'

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव, श्री राजेश्वर प्रसाद ने यहां प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के तीन दिन के एक वर्कशाप का उद्घाटन किया। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह वर्कशाप नई ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना के प्रथम चरण की शुरुआत है। यह योजना इस वर्ष गांधी जयन्ती के अवसर पर 2 अक्तूबर से शुरू की जाएगी।

इस कार्यशाला में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य और निदेशक तथा इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण नीति और पाठ्यक्रमों के विषय में भी निर्णय लिया जाएगा। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षक बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में प्रशिक्षण देंगे।

२६ करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य

राज्यों की 1977-78 की वार्षिक योजनाओं में वन लगाने के लिए 40·50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जबकि 1976-77 में यह राशि केवल 32·66 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से वन लगाने के कार्यक्रमों के लागू करने के लिए की गई है। केन्द्रीय योजनाओं के लिए 1976-77 के लिए 1·70 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी जो 1977-78 में 8 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 9.70 करोड़ रुपये कर दी गई है।

हिमालय क्षेत्र में समन्वित भूमि और जल संरक्षण के लिए 1977-78 से एक और केन्द्रीय योजना शुरू की जा रही है। यह 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर चलेगी।

1977 के सीजन के दौरान 26 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1976 में यह 10 करोड़ वृक्ष का था।

कमजोर वर्गों के लिए मकान

केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में गरीब परिवारों के लिए 6800 मकान निर्माण किए जाएंगे। ये मकान 600 रु० प्रति माह से कम आय वालों के लिए होंगे। इनमें से 43 प्रतिशत मकानों की कीमत 8000 रु० तक होगी और 46 प्रतिशत मकानों की कीमत 8000 से 18,000 रु० के बीच होगी।

इन मकानों का निर्माण आठ योजनाओं के अन्तर्गत होगा जिनकी स्वीकृति आवास और शहरी विकास निगम ने हाल में अपने मंडल की बैठक में दी। निगम ने इनके निर्माण के लिए कुल 328 लाख रु० की स्वीकृति दी है।

निगम ने दो लाख मकानों के निर्माण के लिए 262 करोड़ रु० की स्वीकृति दी है। 179 शहरों के लिए 600 से अधिक योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है।

उर्वरक वितरण

देश के उपभोक्ता क्षेत्रों में उर्वरकों के 600 से अधिक केन्द्र खोले गए हैं। इन केन्द्रों में आयातित उर्वरकों के सुरक्षित भंडार उपलब्ध हैं। ये केन्द्र इसलिए खोले गए हैं कि उर्वरक, जो कृषि के लिए एक आवश्यक वस्तु है, किसानों को खरीफ के चालू अभियान के दौरान सूचना प्राप्ति के तुरन्त बाद उपलब्ध कराए जा सकें।

राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए गए हैं ताकि वे संस्थागत एजेंसियों जैसे सहकारियों, कृषि-उद्योग आदि और डीलरों को उर्वरक आबंटित कर सकें। खरीफ के लिए उपभोक्ता मौसम शुरू हो गया है और यदि किसी एजेंसी या डीलर को उर्वरकों की आवश्यकता हो तो उन्हें कृषि विभाग द्वारा अपनी-अपनी राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करने का परामर्श किया जा रहा है।

सरकार व्यापारियों और कृषकों से अपील करती है कि वे उर्वरकों की कीमतों में संभावित कमी की अफवाहों पर विश्वास न करें और फसलों में समय पर प्रयोग के लिए उर्वरकों की खरीद को स्थगित न करें।

संकर बीजों

खरीफ की मुख्य फसलों जैसे सोरघम, बाजरा और मक्की के बीजों की बेहतर संकर किस्में 6 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि में बोई गई हैं। राष्ट्रीय बीज निगम ने बेहतर किस्म के ये बीज किसानों को दिए थे। राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों की इन संकर किस्मों से 14 लाख टन से अधिक पैदावार होने का अनुमान है। राष्ट्रीय बीज निगम ने बेहतर किस्म के इन बीजों की पैदावार, विभिन्न राज्यों में जहां कृषि-जलवायु परिस्थितियां उनके उत्पादन के अनुकूल थीं, का आयोजन किया था। उदाहरण के रूप में बाजरा के संकर बीज कर्नाटक में, ज्वार के संकर

बीज आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों में, मक्की के बीज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कुछ उत्तरी राज्यों में पैदा किए जाते हैं।

सूखा बहुल क्षेत्र

1976-77 में सभी राज्यों के सूखा-बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में अचानक तेजी आ गई है। कई राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इन कार्यों पर खर्च दुगना हो गया है। सभी क्षेत्रों में कार्य अच्छा हुआ है लेकिन पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस वर्ष 9000 से भी अधिक दुधारू पशु वितरित किए गए और लगभग 1000 दुग्ध उत्पादन और 100 भेड़ उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना पांचवीं योजना के दौरान की गई। इससे कई सूखा-बहुल क्षेत्रों में दूध के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है।

सिंचाई परियोजना

पांचवी योजना के दौरान अभी तक 235 नई बड़ी एवं मझोली परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त 75 नई बड़ी एवं मझोली सिंचाई परियोजनाओं को योजना अवधि के दौरान हाथ में लिया गया।

1951 में पंचवर्षीय योजना आरंभ होने से अभी तक 448 बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और अब इनसे लाभ मिलना शुरू हो गया। बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिक धन की जरूरत पड़ती है और इनका पूरा होना धन, श्रमिक और निर्माण सामग्री की उपलब्धि, जमीन पर कब्जा और इसके साथ व्यक्तियों के पुर्नवास, आदि बातों पर भी निर्भर करता है। इनके निर्माण का कार्य कई बार इन बातों को देखते हुए परिवर्तित भी किया जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं आरंभ की गई थी और इन्हें पांचवी पंचवर्षीय योजना तक पूरा कर लेना था, और इनमें कुछ देर होगी और यह नियत समय तक पूरी नहीं हो सकेंगी।

वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर, चार बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थीं, वर्तमान योजना के दौरान उनका निर्माण कार्य पूरा होने की आशा है। लोक सभा में एक लिखित उत्तर में यह सूचना देते हुए कृषि एवं सिंचाई मंत्री, श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने सूचित किया कि समय पर इन परियोजनाओं को पूरा न किए जाने का मुख्य कारण धन का अभाव और अन्य साधनों की कमी थी।

गांव के लिए बिजली

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और पंजाब राज्यों में 20 अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी जाएगी।

इन बीस परियोजनाओं में से दस विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों और बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे विशेष अविकसित क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हैं। नई परियोजनाओं से 650 गांवों को लाभ पहुंचेगा और इनसे सिंचाई के लिए लगभग 6000 पम्पों को बिजली मिल सकेगी। परियोजनाओं में 8800 घरेलू और व्यावसायिक बिजली के कनेक्शन देने ओर ग्रामीण क्षेत्रों में 4000 गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करने के अतिरिक्त लगभग 470 लघु उद्योग इकाइयों को बिजली देने की परिकल्पना की गई है। ★

ग्रामीण विकास........ [पृष्ठ 6 का शेषांश]

निर्धनता घटे। इसमें संस्थागत वित्त को अधिक से अधिक मदद देनी चाहिए।

ग्राम विकास तथा बेरोजगारी और कम बेरोजगारी को दूर करने के लिए कृषि के सभी पहलुओं के अलावा ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। कृषि में आधुनिकता लाने के साथ ही नए उपकरणों, उपभोक्ता सामान, छोटे पम्प व मोटर आदि की सेवा और नल-कूप चालक मेकेनिक आदि की भी जरूरत होगी। अतः लघु क्षेत्र के ग्राम उद्योगों में इस प्रकार का सामान बनाने की क्षमता की भी आवश्यकता है। साथ ही गांवों के गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास की बेहतर व्यवस्था सुलभ करने के उपाय भी आवश्यक हैं। ★

साहित्य समीक्षा

समय साक्षी है : (उपन्यास) : लेखक : श्री हिमांशु जोशी, पृ० 196, प्रकाशक, राजपाल एंड सन्ज, दिल्ली, सजिल्द का मूल्य 12 रु० ।

प्रसिद्ध युवा लेखक श्री हिमांशु जोशी के लेखन में चुभन, तड़प और मार्मिकता है और है समाज के दूषित अंगों को नग्न करने और उन पर करारा प्रहार करने की कुशलता । राजनीति में किस प्रकार का खोखलापन, कथनी—करनी का भेद, स्वार्थ और पशुता आ जाती है उसी को लेकर आपातस्थिति से पहले लिखी गई, और बाद में छापी गई, यह 'समय साक्षी है' पुस्तक वास्तव में राजनीतिक कुचक्रों की साक्षी है जिनके कारण देश और समाज की दुर्दशा हो जाती है और नेताओं की चांदी रहती है । राजनीतिज्ञों को निकट से देखने पर वस्तुतः वह सपना, वह आदर्श और वह सम्मान-भाव चूर-चूर हो जाता है जिसके कारण ही आम जनता अपने नेताओं की पूजा करती है । राजनीतिक भ्रष्टाचार का सजीव चित्रण और समसामयिक राजनीति और राजनेताओं पर अचूक प्रहार इस उपन्यास की विशेषता है। यों कहने को यह काल्पनिक उपन्यास है पर जाने क्यों सभी चरित्र-पहचाने से लगते हैं । साफ-सुथरी छपाई वाली पुस्तक में राजनीति और नैतिकता के खोखले आदर्शों पर जबरदस्त व्यंग्य है । पुस्तक साज सज्जा की दृष्टि से अच्छी बन पड़ी है ।

श्रीमती साधना भटनागर

हिन्दी नाट्य समालोचना : लेखक; डा० मान्धाता ओझा, प्रकाशक : राजपाल एण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 194, मूल्य : पच्चीस रुपये ।

इस कृति मे हिन्दी नाटक के गम्भीर अध्येता और लब्ध-प्रतिष्ठ समालोचक डा० मान्धाता ओझा ने नाट्य समालोचना की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बोध-क्रम से प्रस्तुत किया है। अब तक हिन्दी नाट्य समालोचना के क्षेत्र में नाट्यालोचना के अभीष्ट संदर्भ की उपेक्षा ही होती रही। इस संदर्भ में भारतीय आलोचक पाश्चात्य समीक्षा शैली का ही सहारा लेते रहे हैं। विद्वान् लेखक ने अंग्रेजी तथा संस्कृत की नाट्यालोचना के समुन्नत विद्वानों का संतुलित अध्ययन सर्वप्रथम प्रस्तुत कर एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। हिन्दी नाट्य रचना तथा नाट्य समालोचना के क्रम विकास को इसमें अतीव उपयुक्तता के साथ अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन दस अध्यायों में विभाजित किया गया है । अध्यायों का क्रम इस प्रकार है :—

1. नाटक और रंगमंच : परस्परता का अन्वेषण ।
2. नाट्य समालोचना/मध्ययुग की मान्यता ।
3. नाट्य समालोचना में काव्यात्मक अनुदृष्टि ।
4. नाटक विषयक शोध और नाट्य समालोचना ।
5. नाट्य समालोचना, पाश्चात्य सन्दर्भों का ग्रहण
6. नाट्य समालोचना में दृष्टि समग्रता ।
7. नाट्य शब्द और दृश्य की परस्परता का अन्वेषण ।
8. नाट्य समालोचना में काव्यात्मकता और रंगानुभूति की तलाश ।
9. नाट्य समालोचना में प्रस्तुतीकरण का परिप्रेक्ष्य ।
10. नाट्य समालोचना : प्रकृति और प्रतिमान ।

हिन्दी नाट्य समालोचना उपर्युक्त अध्यायों में पूर्णरूप से परिभाषित तथा विश्लेषित हो सकी है । अन्त में दी गई अनुक्रमणिका की भी अपनी उपयोगिता है। विश्वास है कि यह महान् कृति हिन्दी में रंगमंच पर अनुसंधान करने वाले छात्रों तथा अन्य जिज्ञासुओं को नितान्त उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध होगी ।

मुद्रण तथा मूल्य भी उपयुक्त है, प्रूफ की अशुद्धियां भी नगण्य हैं । साज-सज्जा सुन्दर बन पड़ी है ।

—डा० लक्ष्मीनारायण पाठक

तिब्बत की लोक-कथाएं : लेखक—रिंगु तुलकू, रूपान्तर : ध्रुवनारायण सिंह; सम्पादक: डा० नन्दकिशोर; प्रकाशक, राजपाल एण्ड संज, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6, मूल्यः चार रुपए ।

समीक्ष्य पुस्तक 'तिब्बत की लोक-कथाएं' में सात कहानियों को तिब्बती भाषा से अनूदित कर बालोपयोगी, सरल एवं सुरुचिपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया गया है । इस पुस्तक की विशेष बात यह है कि कहानियों के साथ उनसे सम्बद्ध रेखांकन कहानियों की बोधगम्यता को और अधिक स्पष्ट करते हुए, तिब्बत के ही कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं ।

भारतीय लोक-कथाओं की भांति ये कहानियां भी परी, पशु-पक्षी व अलौकिकता को अपने में समेटे होने के कारण अविश्वसनीय हैं । इसके बावजूद, ये कहानियां बच्चों के लिए रोचक एवं उनके जीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं । कहानियों का मूल-स्वर सात् कार्य, ईमानदारी और मानवतावादी है ।

संकलन में संग्रहीत सात कहानियां हैं—लोहे का जूता, जीवन का मूलमंत्र, मानवता की परख, डायन की मौत, आदमी, तृष्णा का फल, पुत्रवधू की खोज ।

[शेष पृष्ठ 32 पर]

पांच पेड़—पांच बेटे

बनवारीलाल ऊमर वैश्य ★

ठाकुर जूझार सिंह की ठाकुराइन देवन की कोख से पांच बेटे हुए पर एक भी जिन्दा नहीं रहा। खानदान का नाम डूबने वाला था। बुढ़ौती में पानी दाना कौन देगा? कौन परवरिश करेगा? मरने पर कौन श्राद्ध-तर्पण करेगा? ठकुराइन इसी उधेड़बुन में दिन-रात पड़ी रहती थीं। कर्मनाशा की बाढ़ में पुरानी हवेली भी ढह गई थी। गांव का कुछ हिस्सा कर्मनाशा मइया की गोद में विलीन हो गया था। कछार में खड़े होकर ठाकुर जूझार सिंह ने देखा 'वृक्षारोपण के पांच छोटे कलमी आम के पौधे बाढ़ की चपेट में उखड़ गये हैं।' उन्हें अपने पांच बेटे रामसिंह, लखन सिंह, भरत सिंह, और तलवार सिंह की याद आ गई, और उनकी आंखें भर आईं।

ठाकुर जूझार सिंह ने बड़े प्यार से पांचों आम के पौधे ले आकर अपनी झोंपड़ी के पीछे लगा दिये। सुबह-शाम उसकी देखरेख करते। पानी देते। खाद भरते। इतने करने के बाद तब वे भोजन करने बैठते थे। इन कामों से ठकुराइन को बड़ी चिढ़ रहती थी। वे सबसे कहती फिरती, ठाकुर अब पागल हो गया है।'

पांच बसन्त के बीतते ही पांचों आम जवान हो चले थे। नई-नई कोपलें निकल आई थीं। बौरन और फलने लगे थे। ठाकुर जूझार सिंह ने सोचा अब हमारे पांचों बेटे राम सिंह, लखन सिंह, भरत सिंह, किसन सिंह और तलवार सिंह बड़े हो गये हैं। अब खाने पानी की चिन्ता नहीं रहेगी। दूसरे वर्ष फिर बसन्त आया। सघन फलों को लेकर पांचों आम के पेड़ अपने प्यारे पिता जूझार सिंह की खिदमत में तैयार थे। ठाकुर उन पेड़ों को देख कर अपनी ठकुराइन से बोले 'अजी, सुनती हो, इस साल रामसिंह तुझे बनारसी चुनरी पहनायेगा। लखनसिंह तेरे कानों में झूमका देगा। भरतसिंह रुपये देने को कहा है। किसनसिंह तकाबी का ऋण चुकायेगा और तलवार सिंह तुझे तीर्थ यात्रा के लिए बद्रीनारायण ले जाएगा।

—'ये सब मेरी किस्मत में बदे नहीं हैं।' ठकुराइन—कुढ़कर बोली।

—क्या ये सब तुम्हारे बेटे नहीं हैं? ठाकुर जूझार सिंह ने बड़े धीरे से पूछा।

'—नहीं ये सब तो पेड़ हैं। बेटे थोड़े ही हो जाएगें'?

ठाकुर जूझार सिंह का माथा ठनका। वे अपनी झोपड़ी में चले गए।

ठाकुर के पांच बेटों की कहानी दूर-दूर गांव में और नगरों में फैल चुकी थी। वृक्षारोपण के समय उन्होंने गांव के सभी बच्चों को बतासे बांटे थे, और कहा था—बेटे के ब्याह में सबको लड्डू खिलाऊंगा।' गांव की स्त्रियां—ठाकुर जूझार सिंह को बौरहा समझती थीं। कुछ लोग उन्हें सनकी बोलते पर वे किसी की परवाह नहीं करते थे।

ठकुराइन की चुनरी फट चुकी थी। अंगिया तार-तार हो गई थी। उन्होंने कहा, 'इस बार शहर जाना तो चुनरी और अंगिया जरूर लेते आना।

—'ठाकुर साहब! सलाम'।

—सलाम अमीन! साहब।

—'अरे भाई! तकाबी के पैसें दे दो। सरकार की वसूली जोरों से चल रही है।

—अच्छा, जरूर दे दूंगा।

अमीन चला गया। ठकुराइन बोली। 'कान में झूमके कब लगेंगे? अब तो बूढ़ी हो रही हूं, पहना दो, मेरी साध तो पूरी कर दो।'

जूझार सिंह ने अपने पांचों-पेड़ों की ओर निहारा और झोपड़ी में चले गए। ठकुराइन पेड़ की छांव में बैठ गई।

—'भैया! अब तो मां का दुःख देखा नहीं जा रहा है।' लखन सिंह ने राम सिंह से कहा।

—'पिताजी की तकाबी के ऋण चुका दूंगा।' भरतसिंह और किसनसिंह दोनों ने कहा।

—'इस साल मां को बद्रीनारायण जरूर ले जाऊंगा। तलवार सिंह ने कहा।

पेड़ों में आम खूब आये थे। उसकी सोंधी गन्ध गांव भर में फैल रही थी।

कोयल बोल रही थी। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर साहब अपनी झोपड़ी में बैठकर हुक्का पी रहे थे। ठकुराइन ठाकुर के पैर दबा रही थी। इतने में शहर के दो व्यापारी आ पहुंचे।

—'ठाकुर साहब, राम-राम।'

—'राम-राम, भइया, मजे में हैं?

—हां, ठाकुर साहब। मजे में हैं। इस साल आम खरीदने आए हैं। आपके आम ने आपका नाम रोशन कर दिया है। बम्बई से फलों के लिए आर्डर आया है—

—'यह सब भगवान की कृपा है। अच्छा, आम के दाम बोलो।'

—'पांचों पेड़ के पांच हजार देंगे।'

—'अच्छा दे दो।'

इतने में ठकुराइन ठाकुर के पास आकर नोटों की गड्डियां देखने लगीं। जूझार सिंह पांच हजार रुपये गिन रहे थे। शाम तक ठकुराइन को बनारसी चुनरी, अंगिया आ गई। कानों में झूमके बोलने लगे। तकावी का ऋण चुका दिया गया।

चम्पा ने पूछा 'दादीजी' नई चुनरी और गुलाबी अंगिया किसने दी है?'

—'मेरे बेटे राम सिंह ने?'

— और झूमके किसने दिये?

—'लखन सिंह ने।'

—'और तकाबी के रुपये।'

—'भरत सिंह और किसन सिंह ने'

—'अब क्या विचार किया है? दादीजी।'

— हम दोनों को बद्रीनारायण जाने का विचार है।'

—रुपये।

—'तीर्थयात्रा के लिए रुपये तलवार सिंह ने दिए हैं।'

ठाकुर जूझार सिंह अपनी ठकुराइन को लेकर तीर्थयात्रा करने बद्रीनारायण गंगोत्री, यमुनोत्री आदि स्थानों में घूमते हुए सुदूर हिमालय की ओर चले गए पर आज तक वे लौटकर गांव नहीं आए। 'वे स्वर्गवासी हो चुके थे।' चम्पा यही सोच रही थी' अब उन्हें चुल्लूभर पानी देकर कौन तर्पण करेगा?' गांव के सभी लोग चिन्तित थे।

ठाकुर जूझार सिंह के न रहने पर पांचों पेड़ खूब लहलहा रहे थे। एक दिन जोरों से आंधी आई और वर्षा होने लगी। पेड़ों ने खूब आम गिराए। गांव वालों ने खूब चखे। मानो पेड़ों ने अपने बूढ़े पिता जूझार सिंह और बूढ़ी ठकुराइन मां की आत्मा को शान्ति के लिए श्राद्ध तर्पण किया हो।

—डंकीनगंज,

मीरजापुर (उ०प्र०)

साहित्य समीक्षा......... [पृष्ठ 30 का शेषांश]

ये कहानियां बच्चों में साहस, धैर्य और चातुर्य का संचार करती हैं। सीधे शब्दों में ये कहानियां मानव में अच्छे संस्कार डालती हैं।

पुस्तक की कीमत चार रुपया ज्यादा है। ऐसी पुस्तकों की कीमत निश्चित ही कम होनी चाहिए ताकि ये अपने पाठकों का क्षेत्र और व्यापक कर सकें। प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं। मुख्य पृष्ठ आकर्षक है।

श्रीमती भारती शर्मा

दायरे और इंसान : लेखक—यशपाल जैन, प्रकाशक : आलेख प्रकाशन, बी-9, नवीन शाहदरा, नई दिल्ली-110032. मूल्य : 10 00 रु०।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री यशपाल जैन के प्रस्तुत कहानी संकलन में ऐसी बीस कहानियां हैं जो समाज के यथार्थ को पाठक के समक्ष खोल कर रख देती है। लेखक की लेखनी से निकली प्रत्येक कहानी पाठक के हृदय में एक टीस छोड़ देती हैं और यह सोचने को मजबूर करती है कि समाज के ठेकेदारों ने मानव को संस्कारों के बन्धन में इस प्रकार क्यों जकड़ डाला है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में अपने आपको नहीं पाता। प्रत्येक इंसान के दायरे इतने संकुचित हैं कि मजबूरियों के कारण स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर पाता। किसी इंसान को तो अपने जीवन में गरीबी से जूझना पड़ता है तो कोई उचित व अनुचित तरीके से पैसा बटोरने में नहीं हिचकिचाता।

वासना की भूख ने तो इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। कलंक नामक कहानी को पढ़ कर तो ऐसा महसूस होता है कि मनुष्य बेहद घृणा का पात्र है परन्तु व्यवस्था इसलिए कायम है कि इस समाज में कुछ इनेगिने व्यक्ति ऐसे भी पाए जा सकते हैं जो ईमान पर अटल हैं। 'दीन का इमान' नामक कहानी में फटेहाल तांगेवाल समाज में अपनी सच्चाई और इमानदारी से इस तथ्य की पुष्टि करता है। किन्तु इस विशालकाय भ्रष्ट समाज में ऐसे नमूने नहीं के बराबर हैं। टटोलते हाथ, धरती की धुरी, प्रेमाश्रय, 'यह दुनिया', मानव के दो रूप, आदि कहानियों में भी समाज का जो चित्र खींचा गया है वह बड़ा हृदयस्पर्शी और समाज के सड़े-गले विकृत रूप को उजागर करता है।

पुस्तक की साज-सज्जा सुन्दर बन पड़ी है। छपाई आकर्षक है। प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं। सब मिलाकर कहानी संकलन सुन्दर बन पड़ा है। ऐसे संकलन की कीमत कुछ कम होनी चाहिए जिससे हर कोई लाभ उठा सके।

अखिलेन्द्र पाल सिंह

ए-74, सूर्य नगर

गाजियाबाद (उ० प्र०)

पहला सुख निरोगी काया

बल और स्फूर्ति के लिए अमृतफल आमला ✶ वैद्य गोपाल सहाय शर्मा

आमले का प्रयोग विशेषकर दिल-दिमाग को शक्ति प्रदान करनेएवं वृद्धावस्था में शरीर की रक्तवाहिनियों को लचकीला बनाने के लिए किया जाता है। इसका निरन्तर प्रयोग करने से वृद्धावस्था में रक्त संचार भली प्रकार होता रहता है और रक्त वाहिनियां कठोर नहीं होने पाती। इसी कारण आमला रक्त चाप तथा दिल की कमजोरी में बहुत ही लाभदायक है। इसके सेवन से भूख बढ़ती है, दृष्टि तेज हो जाती है तथा बाल सफेद नहीं होते। इसको तेल में रगड़ कर सर में लगाने और 2-3 माशा प्रतिदिन खाते रहने से बाल सफेद नहीं होते। यह यकृत एवं पाचकागों को ताकत देकर रक्त को शुद्ध करता है। गर्म स्वभाव वाले रोगियों के लिए विशेष गुणकारी है।

एक आमले में दो सन्तरों के बराबर विटामिन 'सी' होता है। विटामिन-सी की कमी से दांतों में रक्त एवं पीप आने लग जाता है। आमले के सेवन से यह शिकायत दूर हो जाती है।

बवासीर :—आमले को बारीक पीस कर 9 माशा सुबह-शाम गाय के दूध के साथ खाने से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है।

जरयान :—सूखे आमलों के चूर्ण में हरे आमलों के रस की भावना देकर सूख जाने पर बराबर की मिश्री मिलाकर 2 माशा सुबह-शाम गाय के दूध के साथ खाने से प्रमेह के रोगियों को बहुत फायदा करता है।

सर चकराना :—गर्मियों में सिर में चक्कर आना, जी घबराना, आदि में आमले का शर्बत एवं आमले का मुरब्बा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है।

बलगम को साफ करने के लिए :—सूखे आमले का चूर्ण 1 माशा, मुलेहठी 2 माशा दोनों का बारीक चूर्ण दिन में दो बार गर्म जल के साथ सेवन करने से बलगम साफ हो जाता है।

नकसीर के लिए :—अगर नाक से खून बन्द न हो तो आधा पाव आमलों को बारीक पीसकर बकरी के दूध के साथ मिलाकर माथे और सिर पर लेप करें, तथा पीली मिट्टी गीली करके नाक पर सुंघाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है।

दिल की धड़कन :—दिल की धड़कन को रोकने के लिए। छटांक आमले के मुरब्बे को रोजाना सुबह—खाली पेट खाने से दिल के धड़कने में बहुत फायदा करता है।

मुख से खून आने पर .—मुख से खून आने पर हरे आमले का रस 1 तोला, हरी दूब का रस 1 तोला तथा तुलसी का रस 1 तोला, शहद में मिलाकर चाटने से मुख से खून का गिरना बंद हो जाता है।

कब्ज :—हरड़-बहेड़ा और आमला तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक पीसकर रख लें। चाहे तो उसमें नमक लाहोरी और डाल लें, 1 तोला की मात्रा में रात को गर्म दूध के साथ सेवन करने से कब्ज दूर हो जाती है तथा तीन माशा तक सेवन करने से स्वप्न दोष का शमन हो जाता है। ★

पुरोहित मोहल्ला,
भरतपुर (राज०)

हम हलवाहे

श्रम का दीप लगन की बाती।
कर्म की जोत जरै दिन राती॥
हल की कलम लीक वाक्यों सी
रोशनाई बन जाए पसीना।
रोज सुखद संदेश सुनाए
खेतों का कागज रस भीना॥
बीज सुनहरे आखर बन बन
लिखे धरा की उर्वर पाती
चहके आँगन सोन-चिरैया
महके हवा-बहारों सी।
लहके हरी-सुनहरी फसलें
रह-रह बन्दन वारों सी॥
गाती रहे गीत पनघट के
गोरी रस-गागर छलकाती।
हम हलवाहे हम चरवाहे
मां की आंखों के उजियारे।
हम बिना दौलत वैभव शाली
हम माटी के राज दुलारे॥
निसि बिखेरती मोती हम पर
भोर-किरण सोना बरसाती।

जनक राज पारीक

निर्देशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित और
केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, फरीदाबाद-121003 में मुद्रित।

Regd. No. D(D)/98

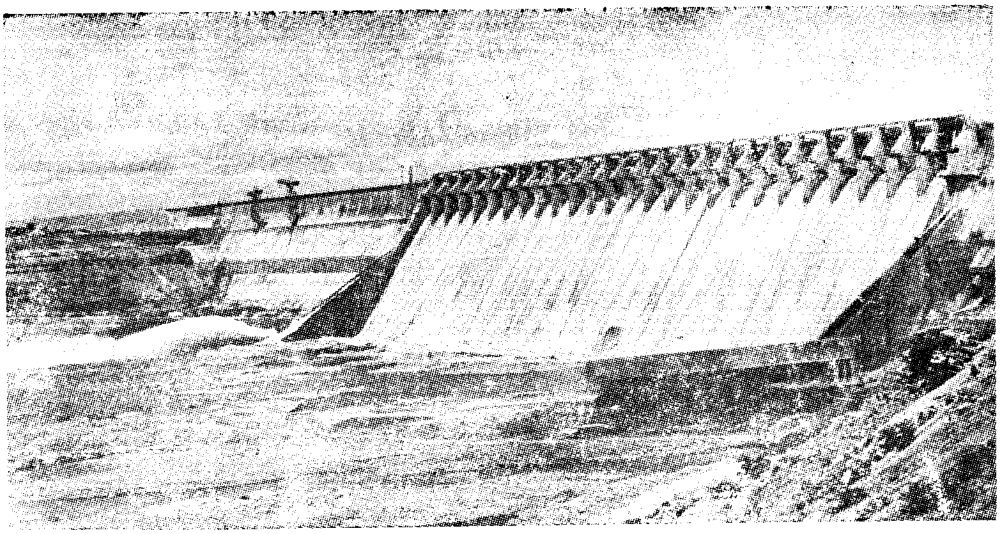

दुनिया का सबसे बड़ा नागार्जुनसागर बांध। इसमें कृष्णा नदी का पानी डाला जाता है और इसके बाएं और दाएं तटों से नहरें निकलती हैं जिनसे तीस लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई होती है।

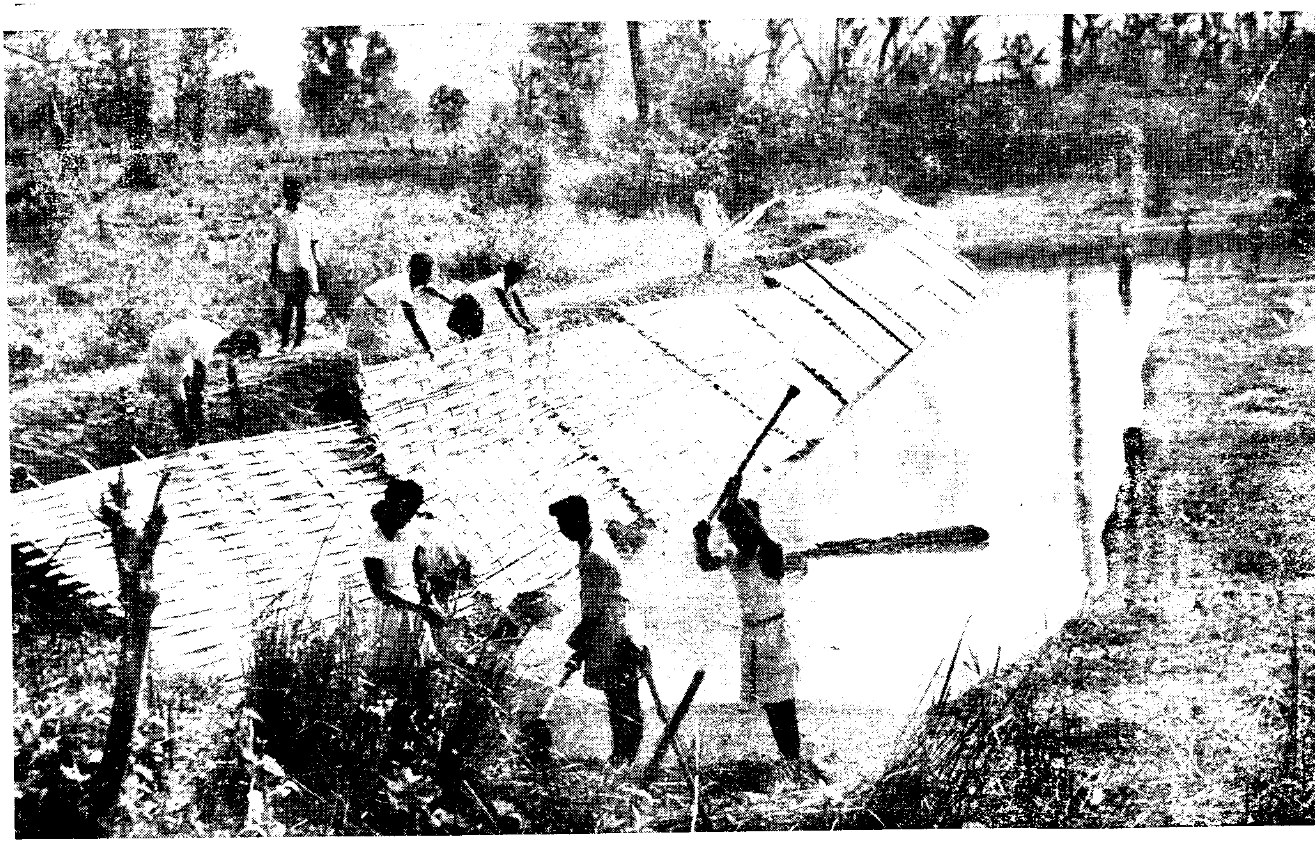

गारो पहाड़ियों में एक नदी पर बांध बनाने में छात्रों द्वारा सहायता जिससे नदी का पानी सिंचाई के लिए काम में लाया जा सके।